खण्ड-232, अंक-3
बुधवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1884
(1 अगस्त, 1962 ई0)

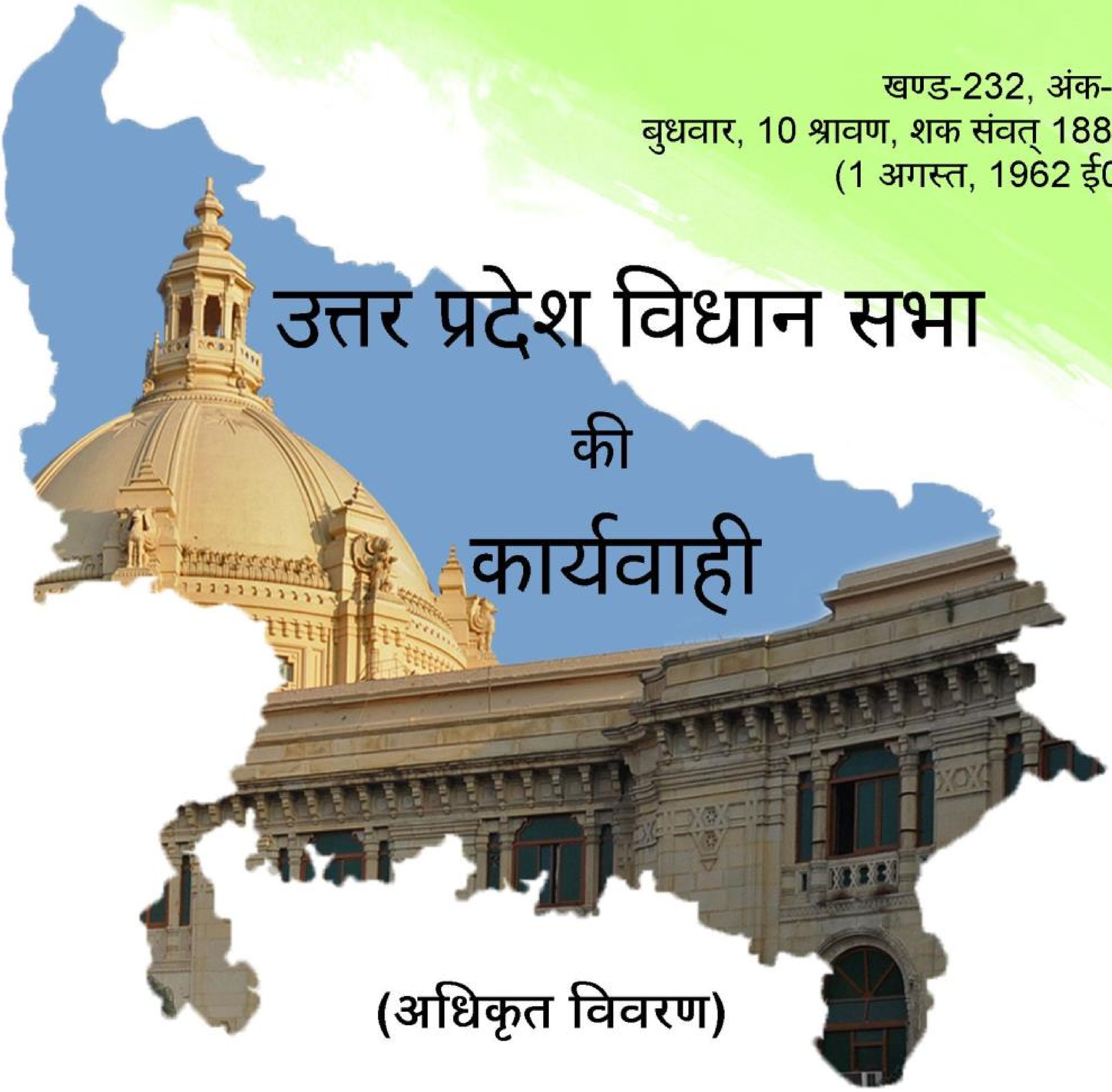

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार १ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषि नारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर , श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री

शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर के व्यापारियों से अवशेष बिक्री-कर न वसूल किये जाने की शिकायत

*१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कानपुर जिले में व्यापारियों से बिक्री-कर का बकाया वसूल न हो सकने के कारण ३६,२६,७२६ रुपया ९२ न० पै० बट्टे-खाते में डालना पड़ा है? यदि हां, तो उक्त रुपया कब से बकाया था और वसूल न हो सकने के क्या कारण थे?

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कानपुर जिले के व्यापारियों पर अवशेष बिक्री-कर की कोई भी धनराशि बट्टे-खाते में नहीं डाली गई है।

*२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया कितना-कितना, किस-किस व्यापारी के ऊपर बकाया था?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि कानपुर के जिलाधीश ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में यह बताया था कि बिक्री-कर का ३६,२६,७२६ रुपया वसूल न हो सकने के कारण बट्टे-खाते में डाल दिया गया है ? यदि हां, तो कौन से रुपये के लिये जिलाधीश ने कहा ?

श्री जयराम वर्मा--जिलाधीश की कान्फ्रेंस का सरकार को पता नहीं है। माननीय प्रश्नकर्ता अभी मुझे एक अखबार दिखा रहे थे कि उसमें ऐसी खबर निकली है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कानपुर का सारा बिक्री-कर का रुपया १,२२,८८,९३९.९२ था और उसमें से सिर्फ १४.६२ परसेंट ही वसूल हुआ ? यदि नहीं, तो क्या वह इसकी जानकारी करावेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--हर जगह कितना बकाया है, इसका प्रश्न आगे है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)--जिलाधीश ने जो प्रेस नोट निकाला है और जिसे माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी को दिखाया है, उसे सूचना मानकर जो रुपया अभी तक बट्टे-खाते में डाला गया उसकी वसूली के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि बट्टे-खाते में कोई रकम नहीं डाली गई।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--जब किसानों के लगान की ९६ परसेंट वसूली डंडे मार कर और कुर्की करके की गई तो कानपुर में सेल्स टैक्स की वसूली के लिये क्या प्रयत्न सरकार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रौढ़ महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भर्थना में गबन की शिकायत

*३--**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री सहदेव सिंह** (जिला इटावा)--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में प्रौढ़ महिला प्रशिक्षण केन्द्र भर्थना में इस महीने (मई, १९५२) में २६ हजार रुपया गबन की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है ?

समाज कल्याण उप-मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--जी हां। इस प्रकार की सूचना सरकार को समाचार-पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। यह संस्था उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से अनुदान पाती है तथा राज्य सरकार से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुवीर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से सरकार का कोई सम्बन्ध है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--राज्य सलाहकार बोर्ड का सम्बन्ध केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से है लेकिन सरकार का सम्बन्ध केवल इतना है कि उसकी देख-रेख या उसके सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है।

श्री रघुवीर--जब सलाहकार बोर्ड से सरकार का सम्बन्ध है तो इस २६,००० रुपये के गबन की सरकार सलाहकार बोर्ड द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी और यदि जांच हो चुकी है तो उसकी एक कापी माननीय सदस्यों के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी हां। समाचार-पत्रों द्वारा मिली यह सूचना ग़लत पाई गई, चूंकि २ वर्षों में २५,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी बोर्ड के द्वारा। केवल १०,००० रुपया अनुदान के रूप में इसी संस्था को दिया गया और ३५ लड़कियों ने इसमें शिक्षा पाई। अनआडिटेड ६,५८६ रुपये का हिसाब बोर्ड के पास प्राप्त हो चुका है।

चिड़ियाघर, बनारसीबाग, लखनऊ में प्रवेश शुल्क न रखने की मांग

*४—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या यह सही है कि सरकार ने बनारसीबाग जू को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में २५ हजार रुपया अतिरिक्त अनुदान इस शर्त पर दिया था कि बनारसीबाग जू में अधिकारियों द्वारा जो जू में जाने का टिकट लिया जाता है, हटा दिया जायेगा ? यदि हां, तो जू में जाने का टिकट कब तक हटा दिया जायेगा ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—१९६१-६२ अनुदान देते समय सरकार ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी।

अतएव इस अनुदान के आधार पर टिकट हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के मेमोरेण्डम में २५,००० की ग्रान्ट् के बारे में जो नोट है, एक्सप्लेनेशन है, उसकी ओर दिलाते हुये उसे पढ़ देना चाहता हूं। २ लाइन का है। मैं उसे इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि प्रवेश फ़ीस लगाने पर जनता ने आपत्ति की। अतः अधिकारियों ने प्रवेश फ़ीस हटा देने का निश्चय किया, किन्तु उन्होंने चिड़ियाघर को चालू वित्तीय वर्ष में १५ हजार रुपये की अधिक अनुदान देने की मांग की। सरकार ने यह अनुदान देना स्वीकार कर लिया, तो उत्तर में कैसे कहा जाता है कि सरकार ने कोई शर्त नहीं लगाई ? दोनों में से कौन-सी बात सही है ?

श्री धर्मसिंह—यह सही है कि जब लेजिस्लेचर के सामने सप्लीमेंटरी पेश हुआ तो यह शर्त थी और वह सप्लीमेंटरी नवम्बर, १९६१ में पेश हुआ था। लेकिन जितना पैसा उन्होंने शुरू में मांगा था और चूंकि वहां की हानि को सरकार पूरा नहीं कर सकी, जनवरी, ६२ में वहां की कमेटी ने यह तय किया कि पूरे तरीके से हानि का पैसा नहीं मिलने से प्रबन्ध चूंकि ठीक नहीं हो रहा है, इसलिये और रुपया मांगा जाय और सरकार ने इसे मान लिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जब उन्होंने २५,००० रुपये का स्वयं एस्टीमेट बनाकर दिया कि इतनी हमारी हानि होगी और जब उन्होंने यह तय किया कि इतने में हानि पूरी नहीं होगी, इस बीच में उन्होंने फीस हटाई या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—प्रातःकाल ४ घंटे के लिए हटाई गई। उसके बाद ४०,००० रुपये की हानि थी जिसे कमेटी पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या मेरी इस बात को सूचना मान कर सरकार जांच करायेगी कि केवल २ घंटे के लिये, ६ से ८ बजे तक, फीस माफ़ है और सरकार और मैनेजमेंट इस बात के दोषी हैं कि दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं हुआ ?

श्री धर्मसिंह—हमारे पास तो यही सूचना है कि खास तौर से हिदायत है कि प्रातःकाल ४ घंटे के लिये फीस माफ है। अगर कोई माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना यह है कि यद्यपि ४ घंटे के आदेश थे, लेकिन वह दो ही घंटा खुला रहता है, यह है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जैसा कि सरकार ने स्वयं कहा कि यह जनता की सुविधा के लिये किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी एंट्री फ़ी हटा देगी और २४ घंटे के लिये फी को हटाने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)——सरकार ने इस पर विचार किया था और मैं तो उन विचारों से सहमत था जो विचार कि माननीय नेता विरोधी दल के हैं, लेकिन जो रुपया हमने उनको अनुदान के रूप में दिया उससे अधिक रुपया हम उनको देने में असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिये थोड़े समय के लिये अपनी फीस को प्रारम्भ कर दिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)——क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मीमो के अनुसार कमेटी ने २५ हजार रुपये का नुकसान बताया था, लेकिन अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कमेटी ने ज्यादा नुकसान बताया है तो पहले क्या उसने जो ऐस्टीमेट बताया था वह बगैर जांच किये हुए बता दिया था?

श्री अध्यक्ष——बजाय इसके कि कमेटी ने कैसे कहा, आप यह पूछिये कि सरकार ने जो कुछ किया, वह कैसे किया।

कुंवर श्रीपालसिंह——कमेटी ने जो २५ हजार रुपया मांगा था तो क्या सरकार ने इसकी जांच की थी कि कमेटी को इतना ही नुकसान होता था अथवा उससे ज्यादा होता था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है उन्होंने उससे अधिक रकम मांगी थी, लेकिन हम उतनी देने को तैयार नहीं थे। हम केवल २५ हजार रुपया दे सके। इस प्रकार से जब हम उनकी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं कर सके तो उन्होंने इस प्रकार से अपने नियमों में परिवर्तन किया जिससे उनकी क्षति पूरी हो सके।

श्री रामायण (जिला देवरिया)——जब जू पर पूरा टैक्स लगा हुआ था उस समय उससे कितनी आमदनी होती थी और उसकी व्यवस्था पर कितना रुपया खर्च किया जाता था?

श्री धर्मसिंह——आमदनी ४० हजार रुपया सालाना की होती थी और खर्चे की तो अलग-अलग मदें हैं जिनमें खर्चा होता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सहकारी संघ, मझगवां में गल्ला सड़ जाना

*१——**श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)**——क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी संघ, मझगवां, ब्लाक फतेहपुर, जिला बाराबंकी का गत १५० मन गल्ला सड़ गया था जिसकी वसूली सुपरवाइजर की तनख्वाह से होने का आदेश हुआ था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)——सहकारी संघ, मझगवां का ३६ मन १९ सेर गल्ला (चना) गतवर्ष (१९६०-६१) में सड़ गया था। लेकिन इसकी वसूली सुपरवाइजर की तनख्वाह से करने का कोई आदेश नहीं हुआ था।

*२——**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**——क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष उक्त संघ का ५०० मन गल्ला किसानों में नहीं बांटा गया उसे नकद कीमत में बेच दिया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री चन्द्रसिंह——इस वर्ष (१९६१-६२) खरीफ और रबी का बीज किसानों को बांटने के बाद ३२५ मन खरीफ बीज और ४३२ मन रबी बीज शेष रह गया था। इसलिये इस कुल गल्ले को सहकारी क्रय-विक्रय समिति, रुदौली द्वारा नकद कीमत पर बेच दिया गया था।

चूंकि उक्त अवशेष गल्ला अगले वर्ष बोने के योग्य न रहता तथा उसमें धुन पई लगने से नुकसान होने की संभावना थी इस लिये नकद दाम पर बेच दिया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ३० मन गल्ला सड़ गया उसके सड़ जाने की जिम्मेदारी किस पर थी और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जो गल्ला बीज गोदाम में बन्द कर दिया गया और उस पर सील मुहर हो गयी तो बाद में जिस आफिसर ने उसे बन्द किया था नियम के अनुसार फिर उसी आफिसर के सामने वह बीज गोदाम खुलता है । तो मालूम हुआ कि यह क्षति इस तरह से हुई कि बीज गोदाम की किसी छत के किनारे से पानी आया और उस पानी के कारण चने के कुछ बोरे खराब हो गये । उसके खराब होने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि बरसाती पानी की वजह से कुछ बोरे खराब हो गये थे ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस बीज गोदाम में गल्ला रखते वक्त शुरू में ही क्यों नहीं देख लिया गया था कि यहां गल्ला रखने से बरसात में कोई नुकसान होगा या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह शुरू में देख लिया जाता है फिर भी इन्सान से ही कभी-कभी गलती होती है और कुछ प्रकृति का भी इसमें हाथ है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जब इस गोदाम में सील बन्द थी तो कब इसकी सूचना मिली कि गल्ला सड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह तो दिया कि खुलने पर मालूम हुआ ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, नियम यह है कि एक बार सील बन्द हो गयी तो साल भर के बाद उसी आफिसर के सामने वह बीज गोदाम खुलता है, इसका परिणाम यह होता है कि चूहे, घुन आदि से गल्लें को बहुत नुकसान होता है क्योंकि बीच में उसे देखने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होती, तो क्या माननीय मंत्री जी इस नियम में कोई परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ताकि इस तरह की जो क्षति होती है उसे भविष्य में रोका जा सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में बीज गोदाम खोलने से और गड़बड़ी पैदा हो सकती है । गल्ला जब बीज गोदाम में भरा जाता है तो उसके लिये आवश्यक है कि उसमें हवा न जाय बरसात में । इसलिये यदि बार बार बीज गोदाम को खोला गया तो उससे और भी नुकसान हो सकता है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि पानी गिरा और पानी गिरने से वह गल्ला सड़ गया, तो क्या वे इसको बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन्होंने इसकी जांच की वे कौन से अधिकारी थे या सुपरवाइजर की रिपोर्ट को ही उन्होंने सही मान लिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वे अधिकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, उनको रिपोर्ट की गयी तो उन्होंने उसकी जांच की और उनकी अनुमति से ही वह गल्ला बेचा गया ।

श्री रामायण—क्या मनानीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बीज गोदाम में जो गल्ला खराब हुआ इसका पता कब लगा और क्या इसका भी पता लगाया गया कि यह ऐक्ट आफ गाड था या ऐक्ट आफ ह्यूमन था जिसकी वजह से यह गल्ला सड़ गया ?

श्री अध्यक्ष—जो रिपोर्ट है उससे उन्होंने बतलाया ।

*३-४—श्री भगवानदीन (जिला राय बरेली)—[हटा दिये गये ।]

एटा जिले में मलेरिया विभाग के हाउस विजिटरों की वापसी जमानत

*५—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेंगी कि जिला एटा में मलेरिया विभाग के हाउस विजिटर के पद से मुक्त होने वाले कितने व्यक्तियों की जमानत अभी तक वापस नहीं की गई है और उसका कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जनवरी, १९६२ तक २० व्यक्ति हाउस विजिटर के पद से मुक्त किये गये । उन में से मई, १९६२ तक १२ व्यक्तियों की जमानत वापस की जा चुकी है । ५ व्यक्तियों ने जमानत की वापसी के लिये नियमानुसार प्रार्थना-पत्र नहीं दिये थे और ३ व्यक्तियों को पद से मुक्त हुये ६ मास नहीं हुये थे ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ५ व्यक्ति जिनकी जमानत की वापसी की दरख्वास्तें नियमानुसार नहीं हैं उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—लायकसिंह, रमेश शर्मा, मनवीरसिंह, बालमुकुन्द सारस्वत तथा बाबूसिंह ।

बलिया जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ अनुदान का व्यय

*६—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में १९५७ से लगायत १९६१ तक हरिजनों के पानी पीने के लिये कितने कूप निर्माण हुये हैं ? उन कूपों के लिये जो रकम मंजूर थी तो क्या बनाने वाले व्यक्तियों को पूरी मंजूर की गई रकम दे दी गई ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वर्ष १९५६–५७ से १९६०–६१ तक हरिजनों के पानी पीने के लिये १५४ कूपों का निर्माण हुआ और उनके लिये जो रकम मंजूर थी वह बनाने वाले व्यक्तियों को दे दी गई ।

श्री रघुनाथ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिवप्रसाद राम जाम रसड़ा, रामधनी राम भुरसुरी, रसड़ा, रघुनाथ राम रुद्रवार, बांसडोह को कुंओं की रकम मंजूरी के बाद भी अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरे पास नामों का ब्योरा तो नहीं है लेकिन ८७ कुंए ऐसे हैं कि जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, उनका रुपया अभी भुगतान नहीं हुआ है, अगर वह नाम दे देंगे तो ब्योरा दे दिया जायेगा ।

श्री रघुनाथ—क्या मंत्री जी सूचना को आधार मानकर . . . .

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया कि आप सूचना दे दें, वह बता देंगी ।

सहकारिता विभाग के लिये स्वीकृत अनुदान में बचत

*७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में सहकारिता विभाग के कौन-कौन से बजट अनुदान उपयोग में नहीं लाये जा सके तथा उपयोग न होने के कारण क्या हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—इस संबंध में एक *विवरण सदन की मेंज पर प्रस्तुत है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह लिस्ट इतनी लंबी है कि सहकारी विभाग की जो १९६१–६२ के बजट की ग्रान्ट थी वह खत्म नहीं हुई, मैं चाहता हूं कि कम से कम वह रकम तो बतायें कि कितनी रकम व्यय नहीं हुई ?

---

* छापा नहीं गया ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलग-अलग मदों में रुपया दिया हुआ है। जोड़ करने में तो देर लगेगी। वह ६ करोड़ ९३ लाख है और उसका खास कारण यह है कि बैंकिंग के लिये जो रुपया दिया जाता है उसका कायदा यह है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के शेयर लिये जाते हैं और रिजर्व बैंक जितने शेयर्स लेने की स्वीकृति देता है उतने ही शेयर हम खरीद सकते हैं। उसने ५२ लाख २६ हजार के शेयर्स खरीदने की स्वीकृति दे दी थी और उसमें से हमने ४१ लाख के शेयर्स खरीदे। तो ४१ लाख रुपया इस तरह से उसमें लिया गया और इसी बचत में से ३० लाख रुपया इंडस्ट्रियल कोआपरेशन का है जो उनके लिये दिया गया। चूंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया से इसकी स्वीकृति नहीं मिल सकी इसलिये इतनी बड़ी रकम बच गई।

श्री गेंदासिंह—जो इतनी बड़ी रकम सेव हो गई वह करोड़ों में है या लाखों में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६ करोड़ ९३ लाख है जिसमें से ६ करोड़ २२ लाख इस मद में बच गया, यह बताया गया।

श्री गेंदासिंह—पूरी रकम कितनी ग्रांट हुई थी जिसमें से बची है ?

श्री अध्यक्ष—६ करोड़ ९३ लाख रुपया, जो खर्च नहीं हुआ, उसमें से ६ करोड़ २२ लाख क्यों नहीं खर्च हुआ, उसका कारण अभी बताया गया।

श्री गेंदासिंह—मंत्री जी अपनी केबिनेट को क्या यह सलाह देंगे कि अगले वर्ष अब बजट में जो साढ़े तेरह करोड़ की आवश्यकता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं और इस बची हुई रकम को फिर खर्च करके उस काम को पूरा कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—आपने सुझाव दे दिया मंत्री जी मौजूद हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि इस पूंजी को खर्च न करने के कारण कोआपरेटिव का जो टार्गेट था उसमें करीब ४८ करोड़ का कर्जा बटने को था जो नहीं बट सका था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो नहीं कहा जा सकता। हां, अगर ज्यादा रुपया दिया जाता तो ज्यादा कर्जा दिया जाता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो ६ करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पाया इसके कारण प्लान का जो टार्गेट था उसके अन्तर्गत सहकारिता विभाग में कितनी क्षति हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्लान के सहकारिता विभाग में बहुत से अंग हैं। जैसा मैंने अर्ज किया यह केवल ऋण देने वाली मद थी जिसमें हमने रुपया नहीं दिया। तो ऋण देने में जरूर यह है कि जितना देना चाहिये था उतना नहीं दे सके। लेकिन और जो प्लान के आइटम्स थे उनमें कोई कमी नहीं आयी। ऋण देने में कमी हुई।

श्री चन्द्रजीत—मंत्री जी बतायेंगे कि १९६१-६२ के बजट में जिन कठिनाइयों से और रिजर्व बैंक की जिन आपत्तियों से यह ऋण नहीं दिया जा सका भविष्य में उसको दूर करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था कर ली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कर ली है। उसमें खास बात थी हमारा लैंड मार्गेज बैंक और बैंक्स थे तथा जिन सोसायटीज की हालत ऐसी नहीं थी कि उनको ऋण दिया जा सके उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इस स्थिति में आ जायं कि रुपया दे सकें और रिजर्व बैंक की जो सिपारिश या आपत्ति थी उनको भी पूरा कर सकें।

श्री नेकराम शर्मा—मंत्री जी ने कहा कि रिजर्व बैंक से कुल ५२ लाख के शेयर्स मिले और उस वक्त बजट में ६ करोड़ रुपया रखा। तो क्या सरकार ने उस समय रिजर्व बैंक से पत्र-व्यवहार नहीं किया था कि कितने शेयर्स हमको मिल सकेंगे और उसके बाद ४१ लाख के ही शेयर्स क्यों खरीदे ?

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था नहीं हो सकी उसका कारण उन्होंने बता दिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो लगभग ७ करोड़ के रुपया बाकी रह गया यह कुल अनुदान का कितना प्रतिशत है ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी कुल बजट कितने का था यह बता दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल बजट कितने का था इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह रकम लगभग ७ करोड़ के जो बाकी रह गई अगले वर्ष के बजट में उस रकम को रखा गया है और रिजर्व बैंक से बात करके उसको दिया जायगा ? अगर हां, तो इस बजट में कितनी रकम रखी गई है इस काम के लिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जरा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ बचत ऐसी होती है जो कि वांछनीय होती है और माननीय सदस्य इसे मानेंगे कि जहां इकोनामी की जा सकती है या इकोनामी की जाय सर्विसेज की तनख्वाहों में तो वह बचत ऐसी नहीं होती कि किसी तरह से उसे निन्दनीय समझा जाय। कुछ बचत ऐसी होती है जो की जानी चाहिये और उसकी सराहना होनी चाहिये, करना चाहिये और हम लोग कोशिश करेंगे कि वह बचत की जाय। लेकिन जो कार्य हैं अथवा जो कार्य होने हैं उनके न होने की वजह से जो बचत होती है उनके लिये हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि वे कार्य पूरे हों। हमारा टार्गेट पूरा हो बल्कि उससे ज्यादा हो। जहां तक कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि हमें खुशी है कि हमारे टार्गेट पूरे ही नहीं हुए बल्कि ज्यादा काम हुआ।

श्री गेंदासिंह—मैं यह कह रहा हूं कि ७ करोड़ की रकम पिछले वर्ष जिस काम के लिये रखी गयी थी बाजाबता तौर पर उसी काम के लिये फिर ७ करोड़ की रकम अगले बजट में प्रोवाइड की है अथवा नहीं की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलग-अलग मदों में बचत है। जहां जरूरी होगा वहां उस धनराशि को अगले बजट में रखा जायगा और जितना जरूरी होगा रखा जायगा।

श्री रामायण—शेयर खरीदने के लिये जो रकम रखी गयी थी उसके लिये उन्होंने बताया कि कुछ आपत्तियां की थीं तो उन आपत्तियों को सराहनीय माननीय मंत्री जी कैसे समझते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य माफ करेंगे, उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा कि कुछ आइटम्स में बचत इकोनामी की वजह से हुई है। वह बचत दूसरी है। ऋण देने के लिये हमने बजट में ६ करोड़ २२ लाख रुपये की व्यवस्था की थी। इसके लिये हमें रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी पड़ती है। उन्होंने स्वीकृति केवल ५२ लाख ५६ हजार रुपये की दी। हमें जितना ऋण देने की स्वीकृति वह देते उसके अन्दर ही हम कर सकते थे।

सहकारी जल एवं विद्युत् सप्लाई सोसाइटी, औरैया की दुरवस्था

*८—श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की सहकारी विद्युत कम्पनी, औरैया की इस समय क्या स्थिति है ? उस पर जिला और राज्य सहकारी बैंकों का कितना-कितना कर्ज है और राज्य सरकार ने उसको समय-समय पर कितना अनुदान या ऋण दिया है ?

श्री चन्द्रसिंह—सहकारी जल एवं विद्युत् सप्लाई सोसाइटी, औरैया की स्थिति अच्छी नहीं है। ३०-६-६१ को इस समिति को ३,६१,८६४ रु० की हानि थी।

इस समय उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक तथा इटावा जिला सहकारी बैंक का असल व सूद मिलाकर क्रमशः ५, ०४,३४६ रुपये व १,९४, ०८९ रुपये कर्ज है। राज्य सरकार ने कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया।

*९—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार उक्त कम्पनी को और ऋण देकर काम चलवाने का विचार रखती है अथवा अन्य कोई योजना पर सरकार विचार रही है ?

श्री चन्द्रसिंह—इस समिति के बिजली सम्लाई कार्य को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रश्न इस समय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विचाराधीन है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक से जो कर्ज इस कम्पनी को दिया गया वह सब एक साथ दिया गया था या अलग अलग किस्तों में दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो इतना है कि ३ लाख २ हजार रुपया उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से दिया गया और १ लाख ५० हजार रुपया सहकारी बैंक इटावा से दिया गया। यह एकमुश्त दिया गया या अलग अलग दिया गया इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३,६१,८६४ पये का घाटा बिजली कम्पनी को हुआ वह एक साल में हुआ या ३–४ साल में हुआ और अगर ३–४ साल में हुआ तो इस घाटे को देखते हुये इस कम्पनी को दोबारा कर्ज क्यों दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सही बात है कि यह घाटा कई सालों का है लेकिन चूंकि यह पब्लिक यूटिलिटी का काम है और सहकारी कन्सर्न ने उठाया है तो ऐसे काम के लिये जो सार्वजनिक कार्य से सम्बन्ध रखता हो अगर बैंकों ने कर्ज दिया तो मेरे खयाल में कोई बेजा नहीं किया।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी को यह पता है कि इस कम्पनी ने अपना इंजन इंस्टाल करने के लिये जो जमीन ली उसकी कीमत मुश्किल से ८–१० हजार रुपये थी जिसके लिये ३ लाख रुपया अदा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका मुझे पता नहीं, सूचना की जरूरत है।

श्री सहदेवसिंह—माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक का जो रुपया कम्पनी पर है उसको वसूल करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोशिश यह की जा रही है कि इस कम्पनी को या तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लेले और उसे अच्छी तरह से चलाये और जब उससे कुछ लाभ हो तो रुपया ले लिया जाय या फिर यह लिक्विडेट हो। ये दो ही चीजें हो सकती हैं।

श्री रामायण—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कम्पनी को घाटा इसलिये हो रहा है कि जो बिजली का उत्पादन होता है उसका उपयोग नहीं हो पाता है या उसकी व्यवस्था में कोई दोष है इसका सरकार ने पता लगाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो उत्पादन होता है उसका तो उपभोग हो ही जाता है। व्यवस्था में ही कुछ गड़बड़ी है। अच्छी मशीनें न होने से शायद घाटा है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस कम्पनी का इंजन, जमीन या वर्कशाप लेने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में यह जो ६–७ लाख के करीब रुपया है यह कैसे वसूल होगा ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि जिस तरीके से भी होगा, इसकी व्यवस्था की जायगी।

कानपुर व आगरा में अवशेष बिक्री कर

*१०--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर व आगरा की किस किस फर्म के ऊपर sales tax का १९५८ से १९६१ तक ५,००० रुपये या उससे ऊपर बकाया है ?

*११--उसकी वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई और उसमें कितनी सफलता मिली ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री छत्रपति अम्बेश--आज ढाई महीने के बाद भी सूचना एकत्रित न हो सकी तो अगले कितने समय में सूचना एकत्र हो जायगी और मंत्री जी सूचना एकत्र हो जाने के बाद सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--यह बहुत डिटेल का प्रश्न है। पूछा यह गया है कि दो जिलों में ५ हजार रुपये से ऊपर सन् १९५८ से ६१ तक किस-किस के ऊपर सेल्स टैक्स का बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कितनी-कितनी सफलता मिली। इसमें देर लग रही है। बार बार प्रयत्न करने पर भी अभीतक इन्फार्मेशन नहीं आ सकी। प्रयत्न किया जा रहा है कि इन्फार्मेशन जल्दी ही आ जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कानपुर व आगरा की किस किस फर्म के ऊपर सेल्स टैक्स का १९५८ से १९६१ तक ५,००० रुपया या उससे ऊपर बकाया है इस का उत्तर तो जल्दी एकत्रित कर सकते हैं ? मेरा मतलब यह है कि दो महीने से पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि अबकी बार आये तो उसका उत्तर आ जाय।

श्री गेंदासिंह--क्या बिक्री-कर के ५,००० रुपये से ऊपर के बकायेदार लोगों की फेहरिस्त मन्त्री जी के कमरे में अब तक नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा--यह बकाया की सूची मन्त्री के कमरे में नहीं रहती है। यह तो सूचना वहां से मांगनी पड़ती है।

*१२--श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--[हटा दिया गया।]

फतेहपुर जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की मुअत्तली

*१३--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में दिसम्बर, १९५८ से अब तक कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स को मुअत्तल या निकाला गया ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें बताने की कृपा करेगी ?

(क) उनके निष्कासन या मुअत्तल करने के क्या कारण हैं ?

(ख) उनके 'सस्पेंशन पीरियड' का सबसिस्टेंस एलाउन्स दिया गया अथवा नहीं ?

(ग) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई तथा हो रही है ?

श्री चन्द्रसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री रक्षपालसिंह--श्रीमन्, तीन महीने हो गये हैं और एक केन सुपरवाइजर ससपेंड है, उसको लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--अब की बार सूची में आये तो सूचना अवश्य मिल जायगी। पन्द्रहवें दिन यह सूची में आयेगा, उस समय तक कृपया जिस तरह से भी हो सूचना मंगा लीजिये।

वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में सहकारी कृषि समितियों की दुरवस्था

*१४—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तथा मिर्जापुर में खेती करने वाली कौन-कौन सहकारी समितियां हैं तथा इनमें कितनी सहकारी कृषि समितियों की हालत दयनीय है ? जिन सहकारी समितियों की हालत दयनीय है उनकी हालत सुधारने के लिये विगत ५ वर्षों में कितना कितना अनुदान दिया गया है और कितनी कितनी जमीन किस-किस समिति के पास है ?

श्री चन्द्रसिंह—वाराणसी तथा मिर्जापुर जिले में निम्न सहकारी कृषि समितियां हैं—

वाराणसी में

१—आराजी लाइन्स सहकारी कृषि समिति।
२—एक्स सर्विस मैन सहकारी कृषि समिति।
३—रेवरा परखपुर ,, ,,
४—शहीद गांव ,, ,,
५—रनियां ,, ,,
६—बर्थरा कलां ,, ,,
७—कादिरा बाद ,, ,,
८—मुलकापुरा ,, ,,
९—दिलावलपुर ,, ,,
१०—मझियार ,, ,,
११—शकलपुर ,, ,,
१२—घोसिला ,, ,,
१३—बिनौली ,, ,,
१४—नरडर ,, ,,

मिर्जापुर में

१—गोपालपुर सहकारी कृषि समिति
२—मैसवार ,, ,,
३—ददरा ,, ,,
४—ददरी खुर्द ,, ,,
५—शेरुआ ,, ,,
६—सबहा सपही ,, ,,
७—केवटा ,, ,,
८—टेढ़ी खुर्द ,, ,,
९—महाव ,, ,,
१०—मझगांव ,, ,,
११—पाथरताल ,, ,,

वाराणसी जिले की ३ समितियों तथा मिर्जापुर जिले की ६ समितियों की हालत अच्छी नहीं है। इन समितियों को विगत ५ वर्षों में दिये गये अनुदान तथा इनके पास होने वाली जमीन का विवरण निम्न प्रकार है—

नाम जिला	नाम समिति	अनुदान की राशि	जमीन का क्षेत्रफल
		रुपये	एकड़
वाराणसी ..	१—आराजीलाइन्स ..	५,०००	१८८.४९
,,	२—रेवरा परसपुर ..	१,०००	७४.०८
,, ..	३—बर्थरा कलां ..	..	४०.१६
मिर्जापुर ..	१—गोपालपुर ..	१,०००	५०००.००
,, ..	२—ददरा ..	२,६००	१७५.००
	३—सबहा सपही ..	१,०००	८१२.००
	४—टेढ़ी खुर्द ..	१,०००	८५०.००
	५—ददरी खुर्द ..	..	२४०.००
	६—पाथरताल ..	..	६०.६०

कुंवर श्रीपालसिंह—मान्यवर, मंत्री जी ने अभी लिस्ट में दो गांवों को पढ़ी—घोसिला और मुलकापुरा, उनकी क्या हालत है?

(उत्तर देने के लिये मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री नरसिंहनारायण—माननीय मत्री जी ने जो अभी लिस्ट पढ़ी है उससे मालूम हुआ है कि जितनी आपकी सहकारी समितियां चल रही हैं सारी समितियां घाटे में चल रही हैं, क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो घाटे में चल रही हैं, इसके बावजूद उनको अनुदान दिया गया इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जो समितियां पूछी गई हैं उनकी हालत यह है। इसके मानी यह नहीं है कि सभी समितियां घाटे में चल रही हैं और उन सभी को अनुदान दिया गया, यह बात भी नहीं है। कुछ समितियों को अनुदान दिया गया और शुरू में दिया गया जब कि उम्मीद थी कि अच्छी चलेंगी और कुछ समितियों में पहले फायदा भी हुआ और फिर घाटा हुआ। कुछ चलने लायक है। कुछ नहीं चलने लायक हैं। जो चलने लायक नहीं हैं वह टूट जायेंगी और जो चलने लायक हैं वह चलेंगी।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुदान दिया गया है वह एकमुश्त दिया गया है या अलग-अलग और अलग-अलग दिया गया तो किस-किस साल में कितना-कितना दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलग-अलग दिया गया है। मैं सबका ब्यौरा तो नहीं दे सकता हूं, देर लगेगी, लेकिन उदाहरण के लिये जैसे आराजी लाइन्स सहकारी समिति है, इसको ४ हजार रुपये ट्रैक्टर खरीदने के लिये, १ हजार रुपया क्राप इंश्योरेंस के लिये दिया गया। इसी तरह से किसी समिति को एक हजार रुपया, क्राप इंश्योरेंस के लिये, किन्हीं को कुछ और सामान खरीदने के लिये दिया गया।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ट्रैक्टर खरीदने के लिये ४ हजार रुपया दिया गया वह किस सन् में दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१९५८-५९ में दिया गया।

श्री गिरधारीलाल—क्या वह ट्रैक्टर अब भी मौजूद है और अच्छी हालत में चल रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि यह गिनतियां कागज-पत्र पर एग्जिस्ट करती हैं या ऐक्चुअल हैं, इसकी जानकारी करने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—उनकी समझ में ठीक चल रही हैं।

सहकारी संघ, रुद्रपुर, सिकन्दरपुर तथा शेषपुर के अन्तर्गत ईंटों के भट्ठे

*१५—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत सहकारी संघ रुद्रपुर, सिकन्दरपुर में संघ की तरफ से कितने दिनों से ईंटों के भट्टे चल रहे हैं?

*१६—क्या सरकार उक्त ईंटों के भट्टों की प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग आमदनी तथा खर्च बताने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—मान्यवर, इस क्वैश्चन को दिये हुये करीब तीन महीने हो गये।

श्री अध्यक्ष—वह मैं देख रहा हूं। मैं मन्त्री जी से यह कहूंगा कि यह प्रश्न अब सूची में जब आयें तो इनका उत्तर आ जाना चाहिये। तीन महीने हो गये हैं।

जिला अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक स्थापित करने की मांग

*१७—**श्री गंगासिंह** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की बहुधन्धी समितियों को बदल कर सन् १९५९ में लगभग ३०० साधन समितियां बनाई गईं और उनको आज तक मध्यकालीन ऋण जैसा कि उनको पहले मिलता रहता था लेने से वंचित रक्खा गया है? यदि हां, तो क्यों वंचित रक्खा गया है?

श्री चन्द्रसिंह—बहुधन्धी समितियां साधन समितियों में परिवर्ति की गईं। बहुधन्धी समितियों को पहले कोई मध्य कालीन ऋण नहीं मिलता था। परन्तु यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की अल्मोड़ा ब्रांच एक वर्ष के बजाय दो वर्ष में अल्पकालीन ऋण वसूल करती थी अल्मोड़ा में जिला कोआपरेटिव बैंक स्थापित होने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की ब्रांच में साधन समितियों को उत्पादन योजनाओं के आधार पर नियमानुसार अल्पकालीन ऋण बांटा गया है। साधन सहकारी समितियों के लिये मध्यकालीन ऋण की भी व्यवस्था अब की जा रही है।

*१८—**श्री गंगासिंह**—क्या सहकारिता मन्त्री को इस बात की भी जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक न होने से ही उक्त समितियों को मध्यकालीन ऋ लेने में असुविधा होने के फलस्वरूप ही यहां के भद्र नागरिकों ने दिनांक ३ सितम्बरण १९६० को जिला सहकारी बैंक की स्थापना की थी? यदि हां, तो सम्बन्धित विषय पर क्या प्रगति हो रही है?

श्री चन्द्रसिंह—मध्य कालीन ऋण जून, १९६१ में पहिली बार रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त हुआ। इससे पूर्व वह ऋण किसी भी जिले की समितियों को नहीं दिया गया। असुविधा का प्रश्न नहीं उठता। अब मध्यकालीन ऋण अल्मोड़ा में यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की शाखा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

जिला सहकारी बैंक की स्थापना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर सम्बन्धित अधिकारिओं द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री गंगासिंह—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक खोलने के लिये वहां के लोगों ने कई बार प्रयास किया, इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है जबकि राजकीय और अराजकीय सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि जिला सहकारी बैंक की स्थापना वहां पर हो जाय, तीन चार बार उसके लिये प्रयत्न किया गया, लेकिन दो वर्ष से कोई ऐक्शन उस पर क्यों नहीं लिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसका कारण यह है कि वहां पर जो स्टेट बैंक की हमारी ब्रांच है उसने १५ लाख के करीब ऋण दे रखा है तो विचार यह हो रहा है कि उस रुपये की वसूली का क्या प्रबन्ध होगा और दूसरी समस्या यह भी है कि पहाड़ की हालत और दूसरी जगहों से जरा भिन्न है। और जगह तो हर साल रुपया दिया जाता है और हर साल वसूल हो जाता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया से भी उसी हिसाब से रुपया लिया जाता है और एक साल की वसूली जिस हिसाब से जहां से होती है उसी हिसाब से ए० बी० सी० की कैटेगरी उनको दी जाती है। जो बैंक जितने ही अच्छे होते हैं उनको उतना ही ज्यादा रुपया दिया जाता है। अब चूंकि यह नया बैंक बनने जा रहा है तो इस पर विचार हो रहा है और इसका अन्देशा है कि इसकी इतनी कैपेसिटी भी होगी या नहीं कि यह उतना रुपया वहां दे सके। इसकी जांच की जा रही है कि इतना रुपया वहां के लोगों को मिल सकेगा या नहीं जितना कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक अपने साधनों से आज वहां दे रहा है। इन सब बातों पर विचार हो जाने के बाद, जिला बैंक हर जगह खोलने की नीति तो है ही, यदि उचित मालूम हुआ तो वहां भी खोला जायगा।

श्री गंगासिंह---श्रीमन, मैं सहकारिता मन्त्री से जानना चाहता हूं कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक जो वहां पर है उसमें काफी धनराशि लोगों की जमा है। जितने लाख उसमें जमा हैं उतना ऋण भी उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---देखिये, इसका उत्तर वह दे चुके कि इसकी जांच हो रही है, कोशिश की जायगी...

श्री गंगासिंह---वहां पर जितनी धनराशि जमा है उससे सहकारी बैंक अच्छी तरह से चल सकता है और यू० पी० कोआपरेटिव बैंक से रुपया मिलने में बड़ी कठिनाई लोगों को हो रही है।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है। लेकिन यह आप उनको जाकर समझा दीजियेगा।

महिला ए० डी० ओ० की तरक्की तथा भत्ता

*१९---**श्री ऊदल**---क्या सरकार को पता है कि हर ब्लाक में ए०डी० ओ०, महिला समाज-कल्याण को सिर्फ ५० रुपये मासिक डी० ए०, टी० ए० मिलता है? लेकिन समय से न मिलने से कठिनाई होती है, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये इस तरह का प्रबन्ध करेगी कि तनख्वाह के साथ उनको डी० ए०, टी० ए० मिल जाया करे?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हां, समाज कल्याण विभाग के ए०डी०ओ० (महिला) के लिये ५० रुपये तक मासिक यात्रा तथा दैनिक भत्ता देने का प्राविधान है। किन्तु वेतन के साथ यात्रा तथा दैनिक भत्ता देना नियमानुकूल नहीं है क्योंकि यह यात्रा तथा दैनिक भत्ता कोई निर्धारित (fixed) भत्ता नहीं है। यह की गई यात्राओं के आधार पर ही दिया जा सकता है।

*२०---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बतायेगी कि इस वक्त प्रदेश के किन-किन ब्लाकों में ग्रेजुएट या बी० ए०, एल० टी० पास महिला ए० डी० ओ० हैं? क्या ऐसों की नियुक्ति सरकार इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर करने जा रही है या जो ग्रेजुएट हैं उनको जिले के पैमाने पर समाज कल्याण का कार्य करने के लिये प्रमोशन देने का विचार कर रही है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इस समय उत्तरप्रदेश के जिन ब्लाकों में ग्रेजुएट या बी० ए०, एल० टी० आदि उत्तीर्ण महिला ए० डी० ओ० नियुक्त हैं उनकी सूची संलग्न है। जो ए० डी० ओ० (महिला) गृह विज्ञान में ग्रेजुयेट हैं, अथवा डिप्लोमा प्राप्त हैं उनको उपयुक्तता के आधार पर चुनाव करके इंसट्रक्टर (Instructor) के पद पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जिला स्तर पर समाज कल्याण का कार्य करने के लिये उनको प्रोमोशन देने का विचार नहीं किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२६-२२७ पर)

*२१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार ग्रेजुएट ए०डी०ओ० महिला की तनख्वाह का ग्रेड जिस तरह से ग्रेजुएट महिला फैमिली प्लानिंग में हैं उस तरह करने का विचार कर रही है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---ग्रेजुएट ए० डी० ओ० (महिला) के वेतन को फैमिली प्लानिंग विभाग की ग्रेजुएट महिला कार्यकर्ताओं के अनुरूप करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर समाज कल्याण का कार्य करने के लिये सरकार ने अब तक कौन कौन सी व्यवस्था की है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---कोई बी०डी०ओ० अगर छुट्टी पर जाता है और ए०डी० ओ० को उस स्थान पर नियुक्ति होती है तो ए० डी० ओ० जो ग्रेजुयेट होती हैं उनको सेलेक्ट करके कार्य करने का अवसर दिया जाता है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि ए० डी० ओ० को यह भी हिदायत है कि वे इतनी ही यात्रा करे कि उनका टी० ए० ५० रुपये से अधिक न हो ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हां।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्राणी जी इस प्रकार की कोई व्यवस्था पर विचार करेंगी कि जो ग्रेजुएट महिला ए० डी० ओ० हैं उनको बी० डी० ओ० बनने के लिये कुछ पर-सेन्टेज फिक्स कर दिया जाय ताकि उनमें से कुछ बी० डी० ओ० बन जाया करें ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन नहीं है। अगर कोई सुझाव आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

घसारा साधन सहकारी समिति में सदस्यता का मामला

*२२---**श्री सहदेवसिंह**---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत 'घसारा' सहकारी समिति के सदस्य बनने के इच्छुक बहुत से सदस्यों को उक्त समिति का सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है जबकि सदस्य होने की समस्त योग्यतायें उन व्यक्तियों में हैं तथा उनका अंशधन बहुत दिनों से जिला सहकारी बैंक में जमा है ?

श्री चन्द्रसिंह---घसारा साधन सहकारी समिति के संचालक मंडल तथा ग्राम सभा ने जिन्हें नये सदस्य बनाने का अधिकार है, ५० व्यक्तियों को विभिन्न आरोपों के आधार पर सदस्यता के अयोग्य बताकर सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया है। समिति की ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध ४९ असन्तुष्ट व्यक्तियों ने अपील की है जो उप निबन्धक, इलाहाबाद के विचाराधीन है।

श्री सहदेवसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि जो ग्राम सभा की बैठक हुई वह किस तारीख को और किस सन् में हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह ११ मार्च, १९६२ को हुई थी।

श्री सहदेवसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४९ असन्तुष्ट व्यक्तियों की अपील उप निबन्धक के पास क्यों भेज दी गई ? क्या जिला कोआपरेटिव अफसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिले में इसको हल नहीं कर सकते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---असल में ग्राम सभा को यह अधिकार है कि किसी को मेम्बर बनाये या न बनाये। इसमें से १७ आदमियों को ग्राम सभा ने मेम्बर बनाना स्वीकार कर लिया था। बाकी लोगों को किन्हीं कारणों से मेम्बर नहीं बनाया। तो नियम के अनुसार जो मेम्बर नहीं बनाये गये उन्होंने अपील कर दी और जो १७ मेम्बर बनाये गये थे वह भी उसमें शामिल हो गये। उन बाकी लोगों के साथ उन १७ लोगों ने भी मेम्बर बनना स्वीकार नहीं किया। इन सब की यह अपील है और नियमानुसार इसका फैसला होगा।

श्री सहदेवसिंह---मन्त्री जी ने बतलाया कि ग्राम सभा को अधिकार है मेम्बर बनाने का और वहां समिति के बाइलाज में यह दिया हुआ है कि किन कारणों से मेम्बर नहीं बनाया जा सकता। उसमें नाबालिग वगैरह हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर इन लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---आधार तो यही है कि सगे भाई और कुछ दूसरे लोग दूसरी सहकारी समितियों से लेन देन करते थे, कुछ नाबालिग थे और कुछ दूसरी सहकारी संस्थाओं के बाकीदार थे।

दहगवां ब्लाक में सहकारी समितियों के सरपंच

*२३—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान, ब्लाक दहगवां में कोआपरटिव सोसाइटी के सरपंच बिना चुनाव के बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*२४—श्री उल्फतसिंह (अनुपस्थित)—क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में प्रदेश भर से पिछड़ी जातियों (बैकवर्ड क्लासेज) के कितने विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति या इमदाद के लिये आये और कितनों को सुविधायें दी गईं?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—१९६१-६२ में पोस्टमैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले ६,३९६ पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिनमें से २७५१ छात्रों को छात्रवृत्ति तथा इमदाद दी गई।

बिधूना क्षेत्रीय विकास समिति के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध आरोप

*२५—श्री सहदेवसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इटावा जिले की बिधूना क्षेत्रीय विकास समिति ने दिनांक १३ मार्च, १९६२ के प्रस्ताव संख्या १०—जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाते हुये सर्वसम्मति से जांच की मांग की थी? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी अब सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी बीज भंडार

*२६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सहकारी बीज भंडार हैं और ३० जून, १९६१ को बीज में सूखन, पई, घुन, चूहा आदि से होने वाली कमी का कितने बीज भंडारों पर कितना रुपया कर्मचारियों से वसूल करना बाकी था?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष—इसको भी आगामी १५वें दिन सूची में आ जाना चाहिये और उस दिन इसका उत्तर दे दिया जाय।

मजगवां कोआपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें

*२७—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के फतेहपुर ब्लाक में मजगवां कोआपरेटिव यूनियन में गत वर्ष सैकड़ों रुपये का नुकसान वहां के सम्बन्धित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह हुआ कि गल्ला किसानों में नहीं बांटा गया और बाद को सस्ते दामों में बाजार में बेचा गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, नुकसान कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुआ। जितना बीज किसानों की आवश्यकता से अधिक बच रहा उसे बाजार में बेचना पड़ा।

नोटः—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२८--श्री द्विजेन्द्रनारायण--क्या सम्बन्धित सुपरवाइजर वहां कई साल से काम कर रहे हैं और बराबर उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, उनके खिलाफ दो शिकायतें अप्रैल, १९६२ की प्राप्त हुई हैं।

जसरा मारुकपुर में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*२९--श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के सफीपुर ब्लाक द्वारा सन् १९५५-५६ में जसरा-मारुकपुर में सहकारी ट्यूबवेल बनाने का आयोजन किया गया था जो सर्वथा असफल रहा था, और आज भी वह उसी स्थिति में पड़ा है? यदि हां, तो सरकार उसके सुधार हेतु क्या विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१९५६ में मारुकपुर सहकारी समिति ने अपनी पंचायत की बैठक में ट्यूबवेल को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय किया।

सिंचाई विभाग ने यह नलकूप नहीं लिया। सहकारी नलकूपों की समस्या जो सिंचाई विभाग नहीं ले पाया है शासन के विचाराधीन है।

*३०--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में 'भर' जाति के लोगों को गृह निर्माणार्थ सहायता

*३१--श्री दौलतलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की राजभर जाति के गृह निर्माण के लिये कुछ धनराशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि किन-किन व्यक्तियों को और कितना-कितना दिया गया?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)--राजभर जाति अनुसूचित विमुक्त तथा पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं। अतः उसके लिये धनराशि स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

'भर' जाति आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर तथा गोरखपुर को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों के लिये पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित है तथा उपर्युक्त पांच जिलों के लिये अन्य पिछड़ी जातियों के अलावा उनको विमुक्त जाति भी माना गया है। आजमगढ़ जिले में इस जाति के जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी धनराशि गृह निर्माण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से १९६१-६२ तक दी गई है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२८ पर)

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन का अनुदान

*३२--श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)--क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९६१-६२ के सालाना बजट में यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन को ४१ लाख २५ हजार का जो अनुदान देने का निश्चय हुआ था उसमें से १० लाख रुपये की रकम नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सन् १९६१-६२ के सालाना बजट में यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन को ४१ लाख २५ हजार का अनुदान देने का कोई निश्चय नहीं हुआ था। अतः उक्त धनराशि म से १० लाख रुपये की रकम न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोआपरेटिव फार्मिंग ऐडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशें

*३३--श्री नरसिंहनारायण--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव की फार्मिग एडवाइजरी बोर्ड की जो दूसरी मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--भारत सरकार से प्राप्त उक्त बोर्ड की कार्यवाही के अनुसार उक्त बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२९ पर)

*३४--श्री नरसिंहनारायण--क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि-आहीना ग्राम मजदूरों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त जलसे में कोई सुझाव था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--भारत सरकार से प्राप्त कार्यवाही के अनुसार ऐसा कोई सुझाव मीटिंग में नहीं दिया गया।

सहारनपुर जिले में बन्द नलकूपों को सिंचाई विभाग में लेना

*३५--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर के परगना नागल में लोगों ने सहकारी समितियों के आधार पर ऋण लेकर जो ट्यूबवेल लगवाये थे वह बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़े हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--केवल ६ नलकूप तेल के इंजन खराब होने के कारण बन्द पड़े हैं।

*३६--श्री रामसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनता की ओर से इस प्रकार की मांग है कि सरकार उन ट्यूबवेलों को अपने अधिकार में लेकर चलाये ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। सरकार के सिंचाई विभाग ने ५ नलकूप अपने अधिकार में ले लिये हैं।

फर्रुखाबाद जिले में ईंट के भट्ठे बन्द होना

*३७--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ साल के अन्दर फर्रुखाबाद जिले में कितने ईंट के सहकारी भट्ठे बन्द कर दिये गये हैं ? क्या वे उन कारणों और परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण वे भट्ठे बन्द हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, सीतापुर में गबन

*३८--श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन सीतापुर में गत वर्षों में कोई गबन हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां।

*३९--श्री जगन्नाथ--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी विभाग ने सम्बन्धित अधिकारी को जिनकी लापरवाही से गबन हुआ क्या दंड दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलमेंट फेडरेशन, सीतापुर के गबन से सम्बन्धित तीन मुकदमे फेडरेशन के भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध चल रहे थे। सरकार ने इन मुकदमों में अदालती फैसला देखने के बाद जिले के तत्कालीन सहायक, निबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निश्चय किया है।

सीतापुर जिले में साधन सहकारी समितियों पर ऋण

*४०--**श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में जितनी साधन सहकारी समितियां बनी हैं, उनमें कितनी नई बनाई गई हैं और कितनी पुरानी सहकारी समितियों का नाम बदल कर रूपान्तर किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१५७ नई बनाई गई हैं और ३०१ प्राइमरी समितियों से साधन सहकारी समितियों में परिवर्तित की गई हैं।

*४१--**श्री श्रीराम**--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में जो पुरानी सहकारी समितियों को टार्जेट पूरा करने के वास्ते नया रूप देकर साधन सहकारी समितियों के नाम पर नये नामों से रजिस्टर कर दिया गया है उन समितियों पर जो पुराना ऋण था उसका क्या हुआ और उनका उत्तरदायित्व नई समितियों के नये सदस्यों पर किस प्रकार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पुरानी समितियों को साधन समितियों में परिवर्तित करने की कार्यवाही सम्बन्धित समितियों और जिला बैंक की सहमति से की गई। अतः जो कर्जे समितियों पर थे वह नई साधन समितियों को हस्तान्तरित हो गये।

जिला सहकारी बैंकों की ट्रांसफर इन्ट्री

*४२--**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद) तथा **श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)--क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि मई और जून के महीने में फर्जी वसूली दिखाने के लिये जिला सहकारी बैंकों में transfer entry विभाग द्वारा कराई जाती है और ऐसा करने का प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सत्य नहीं है।

*४३--**श्री नाथूराम शिक्षक** तथा **श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में जिला सहकारी बैंकों के नियम (Bye-laws) जो विभाग द्वारा रजिस्टर्ड और स्वीकृत किये जाते हैं एक से हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रदेश भर के सहकारी बैंकों के बाई-लाज (Bye-laws) एक से नहीं हैं।

गोरखपुर डी० सी० डी० एफ० का चुनाव न होना

*४४--**श्री कल्पनार्थसिंह**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर D.C.D.F. का चुनाव गत कितने वर्षों से नहीं हुआ है और क्यों ? क्या कई बार स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जिलाधीश से उक्त चुनाव सम्पन्न कराने की मांग की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है जो अभी तक नहीं हो सकी है।

देवरिया जिले में अन्नपूर्णा सहकारी कृषि समिति को सहायता

*४५--**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी कृषि समितियों को विकास क्षेत्रों द्वारा निर्माण-कार्यों के लिये कुछ अनुदान दिया जाता है या नहीं ? सरकार के तरफ से उन्हें सिंचाई में तथा लागत में दूसरे प्रकार की जो सहायता दी जाती है वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

सहकारी कृषि समितियों को सिंचाई तथा लगान में कोई सहायता सरकार से नहीं मिलती है। सरकार इन समितियों को उत्पादन ऋण तथा मन्त्रियों के वेतन के लिये अनुदान देती है।

*४६—**श्री विजयपालसिंह** तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अन्नपूर्णा सहकारी कृषि समिति क्षेत्र भागलपुर, जिला देवरिया को अब तक कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समिति को अब तक ५,९८० रु० की निम्न प्रकार की सहायता दी गई है:—

माध्यम	धनराशि	सहायता का रूप
१—भागलपुर विकास क्षेत्र	१८० रु०	चरन बनाने के लिये अनुदान।
२—राज्य सरकार से	१,५०० रु०	समिति के हिस्से लिये गये।
३—राज्य सरकार से	४,३०० रु०	मंत्री के वेतन के लिये अनुदान।
४—राज्य सरकार से	४,००० रु०	उत्पादन ऋण।

[१ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिला सहकारी फेडरेशन के मंत्री के विरुद्ध आरोप

*१—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिला सहकारी फेडरेशन के सरकार द्वारा मनोनीत मंत्री के विरुद्ध कुछ संचालकों ने अनुचित कार्य करने के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री और रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को आरोप-पत्र दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*२—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—यदि हां, तो क्या वह आरोप-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३० पर)

*३—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—सरकार ने उपरोक्त आरोपों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्बन्ध में निबन्धक सहकारी समितियों से जांच करने के पश्चात् रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

राज्य में अंधे

*४—**श्री गणेशचन्द**—क्या सरकार यह पता लगाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अंधों की संख्या क्या है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उत्तर प्रदेश में अंधों की संख्या उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार यह पता लगाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अंधों में से ऐसे अंधे कितने हैं जिनके भरण-पोषण का कोई भी जरिया नहीं है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

*६—**श्री सहदेवसिंह**—[हटा दिया गया।]

*७—९—**श्री ऊदल**—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—११—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[४ जून, १९६२ को प्रश्न ५—६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

समाज कल्याण विभाग सम्बन्धित प्रोबेशन अफसरों की निर्धारित योग्यता में परिवर्तन पर विचार

*१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद), **श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** तथा **श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (जिला बांदा)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित लोक सेवा आयोग के गत ५ मई के विज्ञापन में प्रबेशन आफिसरों के लिये उन्होंने जो प्रेफरेंशियल योग्यता के भीतर उत्तर प्रदेश के समाज सेवा शिविर केन्द्रों से ट्रेनिंग का प्रमाण—पत्र भी एक योग्यता निर्धारित की है, वे शिविर केन्द्र उत्तर प्रदेश में कहां कहां हैं और वहां ट्रेनिंग की अवधि कितनी—कितनी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—समाज सेवा योजना जिसके अन्तर्गत समाज सेवा शिविर आयोजित किये जाते थे, सन् १९५० से समाप्त कर दी गई है। इस समय यह शिविर कहीं भी नहीं हैं।

*१३—**श्री कल्याण चन्द मोहिले, श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी तथा श्री बृजमोहन लाल गुप्त**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त विज्ञापन में आगरा विश्वविद्यालय के एम० एस० डब्लू का नाम क्यों छोड़ा गया जबकि भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में जिस पद के लिये एम०एस०डब्लू की योग्यता मांगी जायेगी उसमें आगरा विश्वविद्यालय के एम०एस०डब्लू० का भी उल्लेख किया जायगा ? क्या समाज कल्याण मंत्री इन तथ्यों के आधार पर उक्त विज्ञापन को वापस लेकर एक संशोधित विज्ञापन निकालने का इरादा रखते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त विज्ञापन में प्रोबेशन अधिकारियों के लिये निर्धारित योग्यतायें मौजूदा प्रोबेशन आफिसर्स सर्विस रूल्स १९५३ के आधार पर दी गई है। जिस समय यह रूल्स बनाये गये थे उस समय आगरा विश्वविद्यालय एम०एस० डब्लू० की डिग्री नहीं देता था। इसलिये रूल्स में दी गई योग्यताओं में इसको सम्मिलित नहीं किया गया।

भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री का आश्वासन उस समय का है जबकि प्रोबेशन कार्य समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं था, तब प्रोबेशन गृह विभाग के अन्तर्गत तथा सामाजिक सुरक्षा का एक अंग था।

वह आश्वासन समाज कल्याण सम्बन्धी पदों के बारे में था और उसका संबंध प्रोबेशन अधिकारियों से न था। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री ने इस रूप में कोई आश्वासन नहीं दिया था जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। चूंकि प्रोबेशन अधिकारियों का चुनाव मौजूदा नियमों के अनुसार हो रहा है, अतः उक्त विज्ञापन को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। इन नियमों को संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है और उन्हें संशोधित करते समय आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री को भी सम्मिलित कर लिया जायगा।

प्रोबेशन आफिसर का मानसिक असंतुलन

*१४—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कबाल टाउन्स में कितने प्रोबेशन आफिसर्स कार्य कर रहे हैं और क्या इनमें से कोई आफिसर इन्चार्ज ऐसे हैं जो वर्षों से पागलपन से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कबाल टाउन्स में १८ प्रोबेशन आफिसर्स कार्य कर रहे हैं ।

इनमें से एक आफिसर इन्चार्ज ऐसे हैं जो १९५० में डिप्रेसिव साइकोसिस अर्थात् एक विशेष प्रकार की मनोविकृति से पीड़ित थे । उस समय उनकी चिकित्सा मानसिक चिकित्सालय आगरा में कराई गई थी ।

फिर १९५८ में उनके व्यवहार से कुछ मानसिक असंतुलन का आभास पाया गया । उन्हें दस दिन बलरामपुर हास्पिटल लखनऊ में निरीक्षण के लिये रखा गया । किन्तु उससे उसमें किसी प्रकार की मनोविकृति का होना सिद्ध नहीं हुआ ।

उनमें अप्रैल, १९६२ में फिर मानसिक विकृति के चिन्ह दिखायी दिये । २१ मई, १९६२ से वे अवकाश पर चले गये हैं । उनके विषय में सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गयी है ।

*१५—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सत्य है कि उक्त आफिसर्स सन् १९५०-५१ में आगरा मानसिक चिकित्सालय में काफी दिनों तक भरती रहे और जब से वे उन्नाव में नियुक्त थे तो इसी पागलपन के कारण उन्होंने कार्यालय का रिकाड फाड़ डाला था और इस समय भी उनकी दशा से कार्यालय भयभीत है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां । उक्त अधिकारी २१ फरवरी, से २१ जून, १९५० तक मनोविकृति के कारण मानसिक चिकित्सालय आगरा में भरती रह । जब वे उन्नाव म नियुक्त थे तो उस समय उनके द्वारा कार्यालय के रिकार्ड फाड़े जाने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है और न उनकी दशा से कार्यालय के भयभीत होने के बारे में ही कोई सूचना है ।

*१६—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिलाधीश और एस० डी० एम० से रिपोर्ट मांगी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिविल सर्जन से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस समय जिलाधीश तथा ए० डी० एम० से उक्त अधिकारी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गयी है । सिविल सर्जन से ही इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी तक नहीं आई है ।

कोरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की प्रार्थना

*१७—श्री रघुवीरसहाय (जिला फतेहपुर) तथा श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आगरा, मेरठ एवं रुहेलखंड डिवीजनों की कोरी सभा ने यह मांग पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त डिवीजनों की कोरी जाति को प्रान्त क अन्य डिवीजनों की कोरी जाति की भांति अस्पृश्य माना जाता है, अस्तु उसे भी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जावे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

*१८—श्री रघुवीर सहाय तथा श्री सुखराम दास—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीनों डिवीजनों की कोरी जाति को समाज द्वारा अस्पृश्य माना जाने और सरकार द्वारा उच्चवर्ग में रखने से उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का हनन होता देखकर क्या प्रदेश के लगभग ६० विधायकों ने भी उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की सिफारिश सरकार से की है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---केवल ३० विधायकों की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई हैं, ६० की नहीं ।

*१९---श्री रघुवीरसहाय तथा श्री सुखरामदास---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त मांग-पत्र व सिफारिश के आधार पर सरकार उक्त तीनों डिवीजनों की कोरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने की सिफारिश भारत सरकार से करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक सिफारिश करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जी नहीं ।

*२०---श्री कल्पनार्थसिंह---[हटा दिया गया ।]

रजिस्ट्रेशन विभाग में हरिजन

*२१---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त भर में रजिस्ट्रेशन विभाग में स्थायी और अस्थायी सब कितने क्लर्क काम कर रहे हैं तथा उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस समय प्रान्त भर में रजिस्ट्रेशन विभाग में ३९६ स्थायी और १२६ अस्थायी क्लर्क काम कर रहे हैं तथा उनमें हरिजनों की संख्या २३ है ।

*२२-२४---श्री यादवेन्द्रदत्त---[हटा दिये गये ।]

हरिजन व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सुविधायें

*२५---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में हरिजन व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सुविधायें देने के लिये नये नियम विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जी नहीं ।

चमोली जिले की तहसील में ट्रेजरी न होना

*२६---श्री गंगाधर (जिला चमोली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन चमोली जिले की प्रत्येक तहसील में ट्रेजरी अभी तक क्यों नहीं खोली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---चमोली जिले की चमोली तहसील हेड-क्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होने के कारण वहां फिलहाल कोई भी सब-ट्रेजरी खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । अन्य तहसील हेडक्वार्टरों पर उचित स्थान तथा उचित भवनों का प्रबन्ध न हो सकने के कारण अभी सब-ट्रेजरी नहीं खोली जा सकी ।

मैनपुरी जिले के सेल्स टैक्स आफिसर, श्री बदनसिंह के विरुद्ध शिकायतें

*२७---श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के सेल्स टैक्स आफीसर श्री बदन सिंह की जनता द्वारा कितनी शिकायतें उनके मैनपुरी के कार्यकाल के समय की आयी हैं और उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी तीन शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच की गई है और जांच के पश्चात् तीनों शिकायतों में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

देशी घी पर से बहुसूत्री बिक्री-कर हटाने की प्रार्थना

*२८—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार देशी घी पर से Multi-point Sales Tax को हटाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय देशी घी पर से बहुसूत्री बिक्री-कर हटाने का कोई विचार नहीं है ।

खाद चोरी संबंधित रपट की मांग

*२९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खाद की चोरी का जो प्रश्न सी० आई० डी० के सुपुर्द जांच हेतु गत वर्ष दिया गया था उसकी रपट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

*३०—श्री उग्रसेन—क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि सी० आई० डी० की जांच रपट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता है ।

साधन सहकारी समितियों से रासायनिक खादों के लेने का नियम

*३१—श्री होरीलाल यादव—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के साधन सहकारी समितियों के सदस्यों को रासायनिक खादों को बिना रुपया लिये कर्ज न देने का कोई आदेश निकाला गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया ।

सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ के कर्मचारियों का वेतन

*३२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के मैनेजर को कितना वेतन दिया जाता है और देहात में दूध एकत्र करने तथा शहर में वितरण करने वाले कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है और संघ के अन्य कर्मचारियों का क्या वेतन-क्रम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आवश्यक सूचना संलग्न पत्र में दी हुयी है

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३१-२३२ पर ।)

*३३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त दुग्ध संघ मक्खन बनाने का कार्य करती है जिस पर २५ ग्राम वजन लिखा होता है किन्तु वजन करने पर मय कागज के लेबिल नमक की मात्रा को मिला कर २२ या २३ ग्राम की ही मात्रा रहती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त दुग्ध संघ २५ ग्राम की मक्खन की टिकिया बनाता है, परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि २५ ग्राम मक्खन की टिकिया वजन करने पर लेबिल, और नमक की मात्रा मिला कर २२-२३ ग्राम वजन की बैठती है ।

*३४-३५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६७-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम

*३६—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों को कलेक्टरी के कर्मचारियों से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके Service Rules बन गये हैं ? यदि नहीं, तो इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इनके Service Rules का आलेख्य तैयार हो गया है किन्तु ऐसे नियमों के बनाये जाने की पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर इनकी छानबीन होना, अनिवार्य होने से इसमें कुछ विलम्ब अवश्य होगा।

*३७—श्री होरीलाल यादव—क्या ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तरक्की आदि सहूलियतें उसी प्रकार मिल रही हैं जिस प्रकार कलेक्टरी के कर्मचारियों को मिलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ट्रेजरी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम अब भी वही हैं जो कि उनको कलेक्टरेट काडर ((Cadre) से अलग होने से पहले मिला करता था। उनके वेतन वृद्धि के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनकी तरक्की की सुविधायें पहले से घटने के बजाय कुछ बढ़ गई हैं।

अतर्रा मार्केटिंग सोसाइटी में कथित भ्रष्टाचार

*३८—श्री भतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अतर्रा (बांदा) मार्केटिंग सोसाइटी में गड़बड़ व भ्रष्टाचार की जांच १९६१ से पुलिस कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

हरिजन गुरुकुल, गांधी ग्राम, दोहरीघाट से साइकिल के लिये प्रार्थना-पत्र

*३९—श्री मंगलदेव—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन गुरुकुल गांधी ग्राम, दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के कुछ शिक्षित हरिजन (धोबी) नवयुवकों ने तीन पहिये की साइकिल के लिये दिनांक १० जनवरी, १९६१ को प्रार्थना-पत्र देकर अनुदान मांगे थे ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दिनांक १०-१-६१ का केवल एक प्रार्थना पत्र श्री रामसुन्दर, हरिजन गुरुकुल गांधी ग्राम, दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने हाथ से चलने वाली एक साइकिल के लिये सहायता प्रदान किये जाने की मांग की थी। जांच कराये जाने पर विदित हुआ कि उन्हें अनुदान दिये जाने के बजाय किसी राजकीय भिक्षुक धर्मशाला में प्रवेश करा देना अधिक उपयुक्त होगा जिसके लिये वे भी सहमत थे।

अतः उन्हें भिक्षुक धर्मशाला, वाराणसी में प्रवेश कराने की व्यवस्था कर दी गई और इसकी सूचना उन्हें भी दे दी गई थी।

अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति का प्रतिवेदन

*४०—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में विभिन्न पदों पर हरिजनों की कम संख्या की जांच करने एवं उसको बढ़ाने के लिये श्री राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में जो कमीशन नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट को प्राप्त हुये कितना समय हुआ, उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और उन्हें सरकार कार्यान्वित क्यों नहीं कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--(१) कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष २४ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत की ।

(२) रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि ‡संलग्न है ।

(३) रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*४१--**श्री दुर्योधन**--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में भावात्मक एकता लाने तथा हरिजनों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से राज्य हरिजन कल्याण बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा बनाये गये मकान में हरिजनों तथा गैर-हरिजनों को एक साथ बसाया जाये, तो वह कब पास हुआ है और उसे कार्यरूप में लाने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४२--**श्री दुर्योधन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष हरिजन कल्याण बोर्ड ने धोबियों को अन्य हरिजन जातियों की भांति धुलाई आदि के साज व सामान खरीदने के लिये वित्तीय सहायता देने का जो प्रस्ताव पास कराया था उसके अन्तर्गत धोबियों को इस वर्ष कुछ सहायता मिल सकेगी या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं ।

*४३--**श्री रघुनाथ**--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४-४५--**श्री हरिगैनराम** (जिला वाराणसी)--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४८--**कुंवर रुकुमसिंह राठौर** (जिला बदायूं)--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, बलिया में कथित गबन

*४९--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि विगत वर्ष जिला कोआपरेटिव फेडरेशन बलिया में गबन हो गया था ? यदि हां, तो कितने का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं ।

*५०--**श्री रियासत हुसैन**--[हटा दिया गया ।]

*५१-५३--**श्री सुखरामदास**--[हटा दिये गये ।]

*५४--**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५--**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़)--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

‡ प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

लखीमपुर जिले में फाइलेरिया रोकने के लिये प्रार्थना

*५६—श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जब एक ओर सरकार मलेरिया eradication की ओर प्रयत्नशील है दूसरी ओर फाइलेरिया के मच्छर drainage के न होने से अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं जिससे निकट भविष्य में उन समस्त जगहों में फाइलेरिया के फैलने की पूर्णरूप से सम्भावना है? यदि ऐसा है, तो सरकार उस ओर क्या ध्यान दे रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। फाइलेरिया की रोकथाम और जांच के लिये ८ फाइलेरिया कन्ट्रोल यूनिट तथा ३ सर्वे यूनिट स्थापित की जा चुकी है।

*५७—श्री तेजनारायण त्रिवेदी—क्या यह सही है कि जिला लखीमपुर नगरपालिका में फाइलेरिया के मच्छर अधिक मात्रा में drainage के न होने से बढ़ रहे हैं और फाइलेरिया फैलने की सम्भावना है? यदि वास्तविकता यह है, तो सरकार क्या उपाय इस ओर कर रही है?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, जिला लखीमपुर में अन्य जिलों के साथ जल्द ही सर्वेक्षण किया जायगा और तत्पश्चात् उचित प्रबन्ध किया जायगा।

श्री गांधी स्मारक हाई स्कूल, बरदह के हरिजन छात्रावास के लिये स्वीकृत अनुदान

*५८—श्री छांगुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री गांधी स्मारक हाई स्कूल, बरदह, जिला आजमगढ़ को हरिजन छात्रावास के लिये सन् १९६० से अब तक कोई धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी और किस आधार पर?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में १०,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। धनराशि समस्त प्रार्थना पत्रों की उचित जांच के पश्चात् स्वीकार की गई थी।

*५९-६१—श्री रामसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खण्ड औरैया तथा अजीतमल में हरिजन कूपों का निर्माण

*६२—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा विकास खंड औरैया विकास खंड अजीतमल में सन् १९६०-६१ से सन् १९६२-६३ तक कितने कुआं हरिजन के लिये सरकार की सहायता से बन कर तैयार हो गये और कितने अधूरे पड़े हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—१९६०-६१ से १९६१-६२ तक विकास खंड औरैया में चार कूप पूर्णरूप से तैयार हुये हैं तथा सात अधूरे हैं। अजीतमल में आठ कूप पूर्ण हुये हैं और सात अधूरे हैं। इसके अतिरिक्त १९६२-६३ में औरैया विकास खंड में दस कुयें और अजीतमल में आठ कुयें बनाने हेतु सहायता दी गई है।

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के हिसाब की जांच

*६३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष बद्रीनाथ मन्दिर समिति (Temple Committee) के सचिव (Secretary) की नियुक्ति हो गई है या नहीं? अगर हो गई है, तो सचिव कौन नियुक्त हुआ है और उसने चार्ज कब लिया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह पद खाली नहीं है। अतएव वह प्रश्न नहीं उठता।

*६४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—मन्दिर समिति (Temple Committee) के हिसाब की जांच के विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मन्दिर कमेटी का हिसाब प्रायः प्रतिवर्ष इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स द्वारा आडिट किया जाता है।

*६५-६७—श्री कल्पनार्थसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७०—श्री लखपतराम शर्मा—[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७१—श्री लखपतराम शर्मा—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२-७३—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४—श्री रक्षपालसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७५—श्री परमाई (जिला हरदोई)—[९वें मंगलवार के लिये प्रश्न ११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिठाइयों पर बिक्री-कर

*७६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में मिठाइयों पर सेल्स टैक्स की दर क्या है और पंजाब व राजस्थान में क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश में मुहरबन्द डिब्बों में बिकने वाली मिठाइयों के अतिरिक्त अन्य मिठाइयों पर एक प्रतिशत बहुसूत्री कर लगता है। पंजाब और राजस्थान में मिठाइयों पर बिक्री कर की वर्तमान दर क्या है, इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

*७७—श्री जगन्नाथ चौधरी—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७८-८०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८१-८३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बिक्री-कर से आय

*८४—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतायेगी कि सेल्स टैक्स तथा आय कर से सरकारी खजाने में पिछले ५ वर्षों में जिलावार कितनी-कितनी आय वार्षिक होती रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पिछले पांच वर्षों में सरकार को सेल्स टैक्स से जो वार्षिक आय होती रही है उसका जिलेवार ब्योरा संलग्न-पत्र† में दिया गया है। आय-कर केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत होने से उनके सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

*८५—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—इन्हीं मदों में पिछले ५ वर्षों का जिलावार बकाया क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सेल्स टैक्स से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न पत्र† में दी गई है ।

*८६—श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८७—कुंवर श्रीपाल—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८८—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

ट्रेजरी कर्मचारियों के लिये सेवा नियम

*८९—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ के पूर्व से इधर ट्रेजरी कार्यालयों में काम बढ़ गया है परन्तु कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई ? क्या यह सही है कि ये कर्मचारी १० बजे रात तक काम करते रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १९५१ के पूर्व से इधर ट्रेजरी कार्यालयों में काम बढ़ गया है । परन्तु काम के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाया करती है । सरकार के पास कर्मचारियों के १० बजे रात तक काम करते रहने की कोई सूचना या शिकायत नहीं आई है ।

*९०—श्री चन्द्रबली—क्या यह सच है कि ट्रेजरी के कर्मचारी १९५८ के ३१ मार्च से कलक्ट्रेट से अलग कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनके नौकरी के नियमों में कलक्ट्रेट से क्या भिन्नता रखी गई है तथा वे किससे निर्देशित होते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १९५८ में श्री के० के० दास, रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर, द्वारा किये गये ट्रेजरीज के रिआर्गनाइजेशन के अनुसार ट्रेजरी के कर्मचारी १ अप्रैल, १९५८ से कलेक्ट्रेट से अलग कर दिये गये हैं । ट्रेजरी के कर्मचारियों के नौकरी के नियम बनाये जा रहे हैं । दोनों नियमों की भिन्नता नये नियम के विज्ञापित होने के बाद बतलाई जा सकेगी । जब तक नये नियम लागू नहीं होते उस समय तक वे वर्तमान नियमों से ही निर्देशित होंगे ।

*९१—श्री चन्द्रबली—क्या वित्त मन्त्री यह बतायेंगे कि जब ट्रेजरी की छुट्टियां बैंक से सम्बन्धित हैं तो ट्रेजरी के कर्मचारियों से शनिवार के पूरे दिन काम लेने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रेवेन्यू मैनुअल के भाग २ के पैरा १४६८ के अन्तर्गत ट्रेजरी की छुट्टियां निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट की धारा २५ के अनुसार होती हैं । ट्रेजरी और बैंक के काम में निकट सम्बन्ध होने के कारण ट्रेजरी और बैंक के काम के दिन और समय एक रखे गये हैं । हर महीने के आखिरी शनिवार को ट्रेजरी के कर्मचारी यदि उनके पास पिछड़ा हुआ कार्य न हो तो वह आधे दिन की छुट्टी बना सकते हैं ।

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के अतिथि गृह में यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार

*९२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसका ध्यान दिल्ली के 'Statesman Daily' १५ मई, १९६२ पृष्ठ संख्या ५ पर बद्रीनाथ मन्दिर के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

---

†नत्थी छापी नहीं गयी ।

*९३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करेगी जिनके कारण एक सैनिक अधिकारी को स्थान देने के लिये अतिथि गृह में पहले से ठहरे यात्रियों को अत्यन्त शीत तथा हिमपात की दशा में भी जबरदस्ती निकाल दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त समाचार सही नहीं है। इस साल ६ मई को श्री बद्रीनाथ मन्दिर के कपाट खुलने पर अन्य वर्षों की अपेक्षा यात्री कम संख्या में आये। मन्दिर के अतिथि गृह में काफी व्यक्तियों के लिये स्थान उपलब्ध था। अतएव एक सैनिक अधिकारी व उसके दल के लिये किसी अन्य यात्री के बलपूर्वक बाहर निकाले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में सर्वश्री बैजनाथ रामकिशोर की दुकान तलाशी में रोकड़ बही गायब होना

*९४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि गत १५ सितम्बर, १९६१ को तीसरे पहर ढाई बजे दिन में कानपुर सेल्स टैक्स अधिकारियों ने चौक सर्राफा के राज्य प्रसिद्ध सर्राफ मेसर्स बैजनाथ, रामकिशोर की दुकान पर छापा मारा था और तलाशी के समय घोर उद्दंडता और उच्छृंखलता का परिचय दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१५ सितम्बर, १९६१ को साढ़े तीन बजे दिन में कानपुर के बिक्री-कर अधिकारियों ने चौक सर्राफा, कानपुर, के सर्वश्री बैजनाथ, रामकिशोर, की दुकान की तलाशी ली। तलाशी के समय उन्होंने किसी प्रकार की उद्दंडता या उच्छृंखलता का परिचय नहीं दिया था।

*९५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तलाशी में दुकान के जो सब खाता-पत्र और रोकड़ बहियां सेल्स टैक्स अधिकारी उठा ले गये थे वे एक अन्य मामले के सिलसिले में दूसरे न्यायालय में तलब किये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो कागजात उस समय पकड़े गये थे, उन्हें व्यवसायी की प्रार्थना-पत्र पर कानपुर की स्माल काज कोर्ट के न्यायाधीश ने अपनी अदालत में मंगा भेजा।

*९६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि उक्त न्यायालय में पेश किये गये खाता-पत्रों को देखने पर यह पता चला कि सेल्स टैक्स अधिकारियों ने दुकान की एक रोकड़ बही गायब कर दी है और उसकी जगह कोई दूसरी ही फर्जी रोकड़ बही बैजनाथ रामकिशोर फर्म के खाता-पत्रों में शामिल कर दी है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—व्यवसायी ने विभाग से यह शिकायत की है कि एक रोकड़ बही जो कि तलाशी के समय कब्जे में ली गई थी गायब कर दी गई और उसकी जगह दूसरी रोकड़ बही रख दी गई है। इस शिकायत की जांच सहायक बिक्री-कर आयुक्त, कानपुर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह कहना संभव होगा कि सरकार इस विषय में आगे क्या कार्यवाही करेगी।

*९७—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*९८-९९—श्री मुकुट बिहारी लाल—[हटा दिये गये।]

कोआपरेटिव विभाग के आडिट सेक्शन को चपरासी देने की सिफारिश

*१००—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कोआपरेटिव विभाग के आडिट सेक्शन को जो मास में २४ दिन से या ज्यादा टूर पर रहते हैं चपरासी देने पर पुनः विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, क्योंकि शासन को इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बाल अधिनियम के अन्तर्गत कार्य

*१०१—श्री रामायण—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये किन-किन नगरों में चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिक्स खोले गये हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिक्स आगरा तथा वाराणसी में खोले गये हैं। किन्तु इनका उद्देश्य बाल अधिनियम को कार्यान्वित करना नहीं है। चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिक्स का सम्बन्ध उन बालकों के कल्याण से भी है जिन पर बाल-अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाई नहीं होती है।

*१०२—श्री रामायण—क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानों पर इस अधिनियम के अधीन महिला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस अधिनियम के अधीन इलाहाबाद, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी में अवैतनिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसके अतिरिक्त बरेली में भी अवैतनिक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है।

*१०३-१०४—श्री हिम्मतसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०५-१०७—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०८-११०—श्री बृजेश्वरसहाय—[७ वें सोमवार के लिये प्रश्न ९०-९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बिक्रीकर संबंधी अपीलें

*१११—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर (सेल्स टैक्स) की कुल कितनी अपीलें टैक्स कमिश्नर, सेल्स टैक्स जज तथा सेल्स टैक्स रिविजन जज के पास पेंडिंग हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बिक्री-कर के लिये सेल्स टैक्स कमिश्नर के पास अपीलों का कोई प्राविधान नहीं है। ३० जून, १९६२ को ६६,६५३ अपीलें जजेज (अपील्स) सेल्स टैक्स और ११, ९२७ रिवीजन के मामले जजेज रिवीजन्स (Judges Revisions) के पास पेन्डिंग थे।

मृत पशुओं की खाल निकालने के लिये हरिजनों के पास जमीन न होने की शिकायत

*११२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन बस्तियों के निकट जो खाली जमीन पड़ी रहती थी जहां कि वह मरे हुये जानवरों की खाल वगैरह निकालने का काम किया करते थे, वह जमीन अधिकांश में अब जोत ली गई है तथा उन्हें

अब इस काम के लिये स्थान नहीं रह गया है, जिस कारण अब उन्होंने देहातों में कहीं-कहीं मरे हुये जानवरों को उठाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---यह प्रश्न बहुत ही व्यापक है और समस्त प्रदेश से सम्बन्ध रखता है । इस विषय में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है । यह बताना सम्भव नहीं है कि मरे हुए जानवरों की खाल निकालने के स्थान किस सीमा तक जोत लिये गये हैं । और कहां तक इस कारण मरे हुये जानवरों को उठाने का काम हरिजनों ने बन्द कर दिया है ।

जहां तक कथित कार्य के लिये भूमि की व्यवस्था का प्रश्न है सरकार ने हरिजनों को मरे हुए जानवर की खाल निकालने अथवा अन्य पैत्रिक पेशों के वास्ते भूमि (वर्कसाइट) खरीदने के लिये अनुदान देने की भी व्यवस्था की है ?

*११३---**श्री यादवेन्द्रदत्त**---[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

बी० सी० जी० टीमें

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से बी० सी० जी० टीके लगाने के लिये कितनी टीमों के लिये सहायता प्राप्त होती है और उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इस समय कुल १६ बी० सी० जी० टीमें काम कर रही हैं और सभी टीमों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होती है ।

*११५-११७---**श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह**---[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला सहकारी बैंक में डाइरेक्टर को मनोनीत करने के नियम

*११८---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक में राजकीय मनोनीत डायरेक्टर किस आधार पर मनोनीत किये जाते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार केवल उसी व्यक्ति को संचालक पद पर मनोनीत करती है जिसको वह अपने हित में उपयुक्त समझती है । इस व्यक्ति के लिये यह जरूरी है कि वह निम्नलिखित योग्तायें रखता हो ।

१---उसकी आय २१ वर्ष से कम न हो,

२---वह बैंक से कोई लाभ का पद स्वीकार न किये हुये हो ;

३---उसका कोई निकट सम्बन्धी बैंक में कोई लाभ का पद ग्रहण न किये हो,

४---वह दीवालिया घोषित न कर दिया गया हो,

५---वह अस्वस्थ मस्तिष्क का न हो,

६---उसे पिछले पांच वर्षों में किसी ऐसे अभियोग में सजा न हो चुकी हो जो रजिस्ट्रार की सम्मति में नैतिक पतन हो,

७---रजिस्ट्रार की सम्मति में उसके ऊपर बैंक के हित के विरुद्ध दुर्भावना से कोई काम करने का आरोप न हो ।

यह योग्यतायें जिला सहकारी बैंकों की उपनियमावली ५०(अ) तथा ५० (द) में दी हुई हैं ।

*११९-१२१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२२-१२४—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

पर्वतीय क्षेत्र में नये कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलना

*१२५—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पर्वतीय क्षेत्रों में सभी राज्य कर्मचारियों की स्थिति मौसम के लिहाज से समान है, क्या राज्य सरकार अपने आदेश No. G.-1-1276/X—1950, dated Lucknow, August 25, 1957 जिसके द्वारा नये कर्मचारियों का हिल एलाउन्स बन्द कर दिया गया है उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ताकि सभी राज्य कर्मचारी हिल एलाउन्स का फायदा उठा सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*१२६—श्री देवेन्द्रसिंह—यदि हां, तो कब तक सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

भिक्षा-वृत्ति रोकने के लिये प्रार्थना

१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की भिक्षा-वृत्ति को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाने को सोच रही है और क्या-क्या कदम उठाये जा चुके हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिये नगरपालिका अधिनियम, १९१६ में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो भिक्षुक कर्मशालायें खोलने का निश्चय किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो भिक्षुक कर्मशालायें वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थापित हुई तथा भिक्षुकों के भरण-पोषण आदि से सम्बन्धित अशासकीय संस्थाओं को सरकार द्वारा समुचित अनुदान स्वीकृत किया गया ।

२—श्री छत्रपति अम्बेश—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने पर आपत्ति

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भी सवाल पांचवें नम्बर पर था उसे २९ अगस्त के लिये हटा दिया गया और उसके लिये भी दो, तीन महीने हो गये हैं । यह पता नहीं चलता कि यह सूचना एकत्रित करने की कोई मियाद भी है या नहीं । अगर कोई मियाद नहीं है तो उसके लिये हम लोगों को बड़ी निराशा होती है ।

श्री अध्यक्ष—कल भी यह प्रश्न आपने उठाया था और आज भी उठा रहे हैं । आप बैठ जायं । इस संबंध में कल भी मैंने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन कर रहा हूं । जो इतने समय तक प्रश्न पड़े रहते हैं उनके संबंध में मैं विशेष व्यवस्था कर रहा हूं और सरकार को लिख रहा हूं कि उनके उत्तर आगामी बार जब भी वह सूची में आयें मिल जाना चाहिये आप कृपा कर मेरे कमरे में आ जायं तो मैं बतला दूंगा कि क्या व्यवस्था हो रही है । मैं इस संबंध में कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या १२ पर था, जो हटा दिया गया लिखा है। आपको स्मरण होगा कि यह उन प्रश्नों में से है कि जिसके लिये आपने विशेष रूप से आदेश दिया था कि उसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप मिल लीजियेगा, मैं बता दूंगा।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—मैं अपने प्रश्नों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल वह प्रश्न २०२ नम्बर पर थे और आज वे १०१ नम्बर पर रखे गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक खास कानून की तहत में मैंने यह सवाल पूछे थे। मेरी जानकारी यह है कि सदन ने यह चिल्ड्रेन ऐक्ट पास किया था उसके लिये जो आवश्यक संस्थायें बननीं थीं वह नहीं बनी हैं और यह प्रश्न १०१ नम्बर पर रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई गलती प्रश्नों की सूची में आगे पीछे है तो वह हमारी हो सकती है, उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है और अगर हमारी कोई गलती हो, तो आप आ जायं, मैं उसके लिये आफिस से पूछ लूंगा।

नियम यह है कि मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे यहां आ जायं और मैं बतला दूंगा और अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो मैं आप के पार्टीरूम में आ जाऊं और बातचीत कर लूं। लेकिन इन बातों में सदन का समय नहीं लेना चाहिए। आप आइये, मैं बात कर लूंगा।

लोकमान्य तिलक जयन्ती के संबंध में जानकारी

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—मैं एक और आवश्यक बात की सूचना चाहता था। जैसा सभी को विदित होगा, आज लोकमान्य तिलक जयन्ती का दिन था। सरकार की भूल के कारण या अन्य किसी कारण से यह सदन की कार्यवाही आज चल रही है? मैं इसकी सूचना चाहता हूं। हमें सत्याग्रह के दिन के रूप में इस तिलक दिन को मनाना चाहिये क्योंकि तिलक जी सत्याग्रह के बहुत बड़े सिपाही थे।

श्री अध्यक्ष—अगर आप इस सम्बन्ध में कल ही सूचना दे देते तो हम विचार कर सकते थे। हमने तो पहले निश्चय कर लिया था कि हम आज बैठेंगे। जयन्ती मनाने के लिये क्या हो सकता है यह बैठ कर ही तय हो सकता है।

अल्पसूचित प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, एक निवेदन करना था कि आजकल एजेन्डा में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं आ रहे हैं जब कि काफी ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने भी दिये हैं। तो क्या इसका कारण है कि वे नहीं आ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—मैंने तो निवेदन किया कि आप आफिस में पूछ सकते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के बहुत से आए हैं, जो बाढ़ और सूखा के सम्बन्ध में हैं और उन्हें माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेज दिया है जो अपना वक्तव्य देंगे तो उन सूचनाओं का ध्यान रखेंगे और कृपा करके उनके ऊपर अपने वक्तव्य दे देंगे। अन्य जो कई एक सूचनाएं आई हैं, वह माननीय शराफत हुसेन, अमरोहा, नरसिंह नरायण जी और बिपिन बिहारी तिवारी, आदि कई माननीय सदस्यों की हैं। ये टिड्डी दल के जो आक्रमण हो रहे हैं, उस सम्बन्ध में हैं। ये भी मैंने माननीय राजस्व मंत्री को भेज दी हैं। तभी आप इस सम्बन्ध में सूचना दे सकेंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यह जो टिड्डी दलों के आक्रमण हैं उनके बारे में मैं ५-७ दिन में सूचना दे दूंगा। एक दिन टिड्डी और दूसरे दिन बाढ़ और सूखा के बारे में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मेरा निवेदन यह है कि टिड्डी के सम्बन्ध में आप सोमवार को दे दीजिए तो अच्छा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं कोशिश करूंगा कि सोमवार को दूं।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)---मैंने दफा ५२ की एक महत्वपूर्ण संख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी जिसमें पंचायतों के सदस्यों के नामजदगी के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कही गईं और जिसमें दलबन्दी एक विशेष स्थान रखेगी। उस पर आप ने अपनी कोई राय प्रकट नहीं की। हमने माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री अध्यक्ष---अधिक अच्छा हो कि पहले आप यह बात जान लें। नियम ५२ के अन्तर्गत अगर कोई एक सूचना स्वीकृत हो जाती है तो फिर जिन अन्य सूचनाओं का महत्व मैं कम समझता हूं, उनको नहीं लेता। अगर उसके लिये विशेष कारण आप जानना चाहें तो मैंने प्रत्येक सूचना पर आदेश लिख दिया है। आप कृपा कर के देख लें, वरना मुझे सब को पढ़ना पड़ेगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यूनिवर्सिटी ग्रान्टस् कमेटी के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ३ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कार्यावधि के लिये विधान सभा के ३ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ३ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कार्यावधि के लिये विधान सभा के ३ सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम संख्या १२ (ख), (अ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करे ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम संख्या १२ (ख), (अ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मण्डल में कार्य करने के लिये १ सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण मंडल में कार्य करने के लिये, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित स्वर्गीय श्री मलखान सिंह के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कार्यावधि के लिये एक व्यक्ति का निर्वाचन करे ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण मंडल में कार्य करने के लिये. भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित स्वर्गीय श्री मलखान सिंह के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कार्यावधि के लिये एक व्यक्ति का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नियम ५२ का प्रश्न किया था कि आपके प्रदेश में शिक्षा संबंधी बड़ी धांधली हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने निवेदन किया था कि जब दफा ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अन्य प्रस्ताव फिर नहीं लिये जाते । वैसे मैंने हर एक पर अपने आदेश दे दिये हैं, वे आप मेरे आफिस से देख सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कुछ मुझे निवेदन करना है । मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं । श्रीमन्, कल एक गैर सरकारी प्रस्ताव पर विरोधी दल की तरफ से एक क्लोजर मूव हुआ और उसको सरकारी पक्ष ने अस्वीकार कर दिया । मेरी यह धारणा है कि गैरसरकारी प्रस्तावों पर विचार करते समय प्राथमिकता गैर सरकारी लोगों को देना चाहिये । मैं समझता हूं कि गैर सरकारी प्रस्तावों के लिये कोई ऐसी पद्धति निर्धारित कर दी जानी चाहिये जिससे कि सभी गैर सरकारी प्रस्तावों पर कुछ विचार हो जाया करे और उस पर कुछ सरकार की इच्छा भी मालूम हो जाया करे ।

श्री अध्यक्ष—माननीय केशव गुप्त जी का प्रस्ताव, गेंदासिंह जी, सरकारी था या गैर सरकारी ?

श्री गेंदासिंह—इस वक्त श्रीमन्, उसकी स्थिति गैर सरकारी हो गयी है ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल दिन भर उस प्रस्ताव पर बहस होती रही । अब अगर उस सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय न कर पायी हो तो इस प्रस्ताव को कुछ दिनों के लिये स्थगित किया जा सकता है और इसको फिर लिया जा सकता है । मैं यह चाहता हूं कि और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं---जैसे हिम्मत सिंह जी का प्रस्ताव है, या अभी भूमि के संबंध में मालगुजारी का प्रस्ताव है वह आ नहीं पायेगा, इसी पर दिन भर विचार होता रह जायगा और अगर यही रुख सरकार की तरफ से रखा गया....

श्री अध्यक्ष---जब आप क्लोजर का प्रस्ताव रखें तो यह सब बतला सकते हैं । इस समय तो मिश्र जी बोलेंगे । अगर ऐसी परिस्थिति आये तो आप कह सकते हैं सदन में ।

श्री गेंदासिंह---मैं शुरू में इसलिये कह देता हूं कि मुख्य मंत्री जी, नेता सदन नहीं रहेंगे । मिश्रजी भाषण दे लें, लेकिन एक सिद्धान्त के तौर पर अगर तय हो जाय तो आगे के लिये रास्ता साफ हो जाता है, इसलिये मैंने आपका समय लिया ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो अभी आपत्ति की है, तो सरकार का कोई इरादा नहीं है कि गैर-सरकारी प्रस्तावों पर विचार न किया जा सके । कल चूंकि इस तरह के सदस्य बोलना चाहते थे इसलिये ऐसा हुआ । इसलिये जैसी आशंका है कि दूसरा न आ सकेगा, ऐसा नहीं है । मैं समझता हूं शीघ्र ही इस पर मत सदस्यों का लिया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जहां तक मेरा संबंध है मैं बिलकुल सदन के हाथ में हूं । जिस प्रकार से सदन निश्चित करेगा वही पद्धति मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी । रहा यह कि किस प्रकार से हो, तो अधिक अच्छा होता अगर नेता विरोधी दल और अन्य नेता गण बात चीत कर लेते ।

निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम को निश्चित करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई थी और शाम को उस पर बोल रहा था । माननीय केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस सदन के सामने उसको मैं सिद्धान्तहीन मानता हूं । मेरी अपनी निजी राय है कि यह प्रस्ताव पीसमील लेजिस्लेशन है जो कि इस सदन में नहीं आना चाहिये । कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनके कुछ नैशनल आब्जेक्टिवज हैं और उनमें करीब करीब एक ही आधार समता, समानता, भाई-चारे की नीति, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार विकास करने का अवसर और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि हैं । तो मेरा मत है कि उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के सम्बन्ध में जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया जाय वह उचित और सैद्धान्तिक होना चाहिये, पीसमील नहीं, और इसी कारण से मैं इस संकल्प के साथ जो उनकी तरफ से संशोधन आये हुए हैं उनको भी सिद्धान्त-विहीन समझता हूं । इसलिये मैं इस सम्मानित सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आज शाम तक इस प्रस्ताव के ऊपर और उन संशोधनों के ऊपर सैद्धान्तिक बहस की जाय और बहस जारी रखी जाय ।

इस संकल्प के अन्तर्गत सारे निर्णय छिपे हुए हैं । हमारा विचार और संकल्प अन्तिम होना चाहिये । एक तरफ आमदनी पर कुठाराघात, दूसरी तरफ गन्ने की कीमत बढ़े, लगान घटे, मजदूरी बढ़े, मकानों का किराया कम हो, ये सैद्धान्तिक प्रश्न हैं । जब तक यह निम्नतम आमदनी और अधिकतम आमदनी वाला सवाल हल नहीं होता तो अन्य प्रश्न कहां उठते हैं ? प्रमुख संकल्प यह है कि निम्न से निम्न आमदनी कितनी हो और अधिक से अधिक आमदनी कितनी हो ? जब यह प्रश्न हल हो जाय तब दूसरे प्रश्न लाये जायं....

---

†३१ जुलाई, १९६२ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—यही मुझे भी कहना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, बहुत से साथी जो कांग्रेस की तरफ से बोले मैंने उनके भाषणों को गौर से सुना । मैंने दो-तीन बातें मुख्य रूप में कहीं थीं । हमारे साथियों को मालूम होना चाहिये कि १५ वीं लेबर कान्फ्रेंस के इस सिद्धान्त को सरकार ने सिद्धान्तरूप में मान लिया है, अब सवाल केवल उसको अमल में लाने का है । मुझे इस बात से दुख हुआ कि हमारे बहुत से कांग्रेसी भाइयों को यह भी नहीं मालूम कि कान्फ्रेंस के उस सिद्धान्त को कांग्रेस भी मान चुकी है और पूंजीपति भी मान चुके हैं । मिनिमम वेजेज के उस सिद्धान्त को जिसमें रुपये की शक्ल में करीब १२५ रुपये होते हैं, उस मिनिमम को और एक हजार रुपये के मैक्सिमम को मैं अमेंडमेंट के रूप में पेश करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं । सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि तनख्वाह को घटाने में दिक्कत होगी । तो मेरा सुझाव यह है कि आगे जितने भी रेक्रूटमेंट हों वह १,००० रुपये के ऊपर न किये जायं । अगर इस समय से भी आप ऐसा करना संभव कर दें तो आप कंट्रोल कर लेंगे ।

दूसरी बात यह कही गई कि बजट में रुपया नहीं है । मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी द्वारा १० करोड़ रुपये की बचत के सुझाव दिये गये हैं । एस्टीमेट्स कमेटी में इस सदन के माननीय सदस्य हैं और उस समिति के सभापति भी इसी माननीय सदन के सदस्य हैं । यदि एस्टीमेट्स कमेटी के सुझाव मान लिये जायं तो १० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और बजट में रुपये की कमी का सवाल हल हो सकता है । लेकिन सरकार तो इस प्रकार के बहाने ढूंढ़ा करती है जो किसी कदर काबिले इत्मीनान नहीं होते । इन शब्दों के साथ सदन से मेरी यह प्रार्थना है कि यदि मेरे संशोधन को मान लिया जाय तो माननीय केशव गुप्त जी का प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर हो जायगा ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन्, मेरा जो प्रस्ताव है वह एक मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है । जब मैंने यह प्रस्ताव दिया था तो मुझे यह आशा थी कि इस सदन में सब ओर से उसको समर्थन प्राप्त होगा । मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और उन माननीय सदस्यों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने उसका विरोध करते हुए कुछ न कुछ कहने का साहस किया । मैं उन दोनों संशोधनों को भी स्वीकार कर लेता यदि वे मेरे प्रस्ताव को संकीर्ण न बना देते ।

माननीय यूसुफ साहब ने फरमाया कि लेबर कांफ्रेन्स में इस प्रस्ताव को सभी दलों की मान्यता प्राप्त हो गयी थी सन् ५७ में ही, लेकिन सन् ५७ के बाद तो बहुत सा पानी चल चुका है और उसकी सिफारिश आज ६२ में लागू नहीं हो सकती । इसके अलावा जो दो संशोधन पेश किये गये उनमें भी दोनों में मतभेद है । एक के द्वारा १०० रुपया चाहा गया और दूसरे के द्वारा १२५ रुपया । यह सवाल तो डिटेल का था । जब ऐक्सपर्ट्स कमेटी बैठती तब वह इस चीज को देखती कि निम्नतम वेतन क्या रखा जाय और उसके सामने जो लेबर कांफ्रेन्स का फैसला था वह भी आ जाता ।

[श्री केशव गुप्त]

लेकिन कल से आज तक की बहस के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारे बहुत से भाई इसके विरोध में हैं। किसी ने कहा कि यह प्रस्ताव असामयिक है, किसी ने कहा कि लेजिस्लेशन है और किसी साहब ने कहा तीसरी योजना को चलाने के समय इस प्रस्ताव को नहीं लाना चाहिये था। मैं भी योजना से बहुत प्रेम करता हूं और उनके जीवन से बहुत पहले से प्रेम करता हूं, लेकिन यह कहना कि इस प्रस्ताव से योजना में रुकावट होगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इस प्रस्ताव को पिछली दो योजनाओं की समाप्ति पर ही रखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके द्वारा तीसरी योजना सफल हो सकती है। आज तो हमारे मुलाजिमान कह देते हैं कि यह तनख्वाह नहीं है मनख्वाह है। मेरा खयाल है अगर मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो जो रुपया आज हमारी योजनाओं में लगता है उसका आधा ही लगेगा और इस प्रकार से जो हमें अधिक वेतन देना पड़ेगा वह कवर हो जायगा।

कई माननीय सदस्यों ने काश्तकारों की बात कही जो इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं थी। मैं भी इस बात का हामी हूं कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिये और वन मैन वन प्रोफेशन के सिद्धान्त को मान लिया जाना चाहिये। जिस तरह से आज काश्तकारों का रूप चल रहा है मैं उस तरह से मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी भी अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको खत्म कर दिया जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूरे सिद्धान्त को मान लिया जाय। मेरा विचार है कि शासन इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि प्रत्येक को जीवनयापन के साधन उपलब्ध कराना उसका कर्तव्य होगा। अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सदन के सामने लाया जाता है तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो उसका प्रतिपादन करने के लिये तैयार होगा और उसका समर्थन करेगा। मैं तो चाहता था कि यह रास्ता शासन दिखावे, क्योंकि शासन सबसे बड़ी इकाई है नौकरी देने की तथा उसके दिखाये हुये रास्ते का ही प्राइवेट सेक्टर या दूसरे लोग जो मुलाजिमों को रखते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिये यह कहना कि यह पीसमील लेजिस्लेशन है, गलत है।

मुझे यह देखकर थोड़ी सी चिन्ता हुई और दुख भी हुआ कि बहुत से महानुभावों ने इसके मौलिक सिद्धान्त को समझने की कोशिश नहीं की या उन्होंने अपने दिमाग को वहां तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की कि जो मौलिक सिद्धान्त है उसका आशय क्या है। आज यह एक प्रस्ताव ही था, यह गवर्नमेन्ट से सिफारिश ही करता है, यह सरकार को कोई मजबूर तो करता नहीं है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। इस सदन द्वारा जितने प्रस्ताव किये गये वे गवर्नमेन्ट को मान्य होने चाहिये और होते हैं, लेकिन यह महज एक सिफारिशी रिपोर्ट थी कि कैसे और कब गवर्नमेन्ट कमेटी बैठाये और हम कौन से सिद्धान्त को प्रतिपादित करें। गवर्नमेन्ट के लिये जरूरी नहीं था कि वह इसे मंजूर करे ही, लेकिन मैंने देखा कि इस प्रस्ताव के विरोध में एक काफी पक्ष है और मैंने देखा कि इस प्रस्ताव के गिरने का भी भय है। अगर यह प्रस्ताव रायों से गिरता है तो मैं उसको इस मौलिक सिद्धान्त का बहुत बड़ा अपमान मानता हूं और इससे देश और प्रदेश के अहित होने की आशंका करता हूं। इसलिये यह देखते हुये कि इस प्रस्ताव को बहुमत से गिराने का प्रयास है, क्योंकि बहुत से सज्जनों की बहस से मुझे यह पता चला और मैं इसको महसूस करता हूं कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले बहुत से सज्जन इस पर आगे बहस जारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरा प्रस्ताव जो उनके सामने आने वाला है उसे वे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, हालांकि मेरे लिये वह ज्यादा महत्व का नहीं है। इसलिये मैं उनके बीच में रोड़ा नहीं अटकाना चाहता।

मैं यह भी बतलाता हूं कि मुझे कोई भय नहीं है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मुझे भय है कि वे कहीं भय से अपने प्रस्ताव को वापस न ले लें। मैं बतला दूं कि अपने जीवन में मैंने कभी किसी से भय नहीं खाया, लेकिन डिसिप्लिन को मैं हमेशा मानता रहा हूं और मानूंगा और हर पार्टी के सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को माने, चाहे वह कितना ही कड़ुआ घूंट क्यों न हो उसे पी जाय। इसलिये इतना कहते हुए,

[श्री केशव गुप्त]

चूंकि मैं खुद इस प्रस्ताव को बहुमत की राय से गिराना नहीं चाहता, क्योंकि यह मौलिक सिद्धान्त व इस प्रस्ताव का अपमान करना होगा, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दें और जब कभी मौका होगा तो उसको मैं फिर पेश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय केशव गुप्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि "उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह अपने निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को आधार मानकर निश्चित करे और उससे ऊपर का वेतनक्रम योग्यता के अनुपात पर आधारित किया जाय" को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२६,

विपक्ष में— ९७।)

किसानों का लगान आधा करने तथा उनको भूमिधरी अधिकार दिये जाने के संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—अब यह संकल्प कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं" श्री शारदाभक्तसिंह पेश करेंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एक प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करना है। जैसा कि सर्वविदित है कि २४–२५ अप्रैल को जब लैंड रेवेन्यू डिमान्ड सदन में पेश थी तो उस पर हमारे मित्र श्री भानुप्रताप सिंह जी ने एक कटमोशन पेश किया था जिसमें उन्होंने रखा था कि लगान आधा न करने की गलत नीति पर विवाद करना, यह डायरेक्ट इशू लेकर विवाद हुआ और वह कटमोशन रिजेक्ट भी हुआ। उसके बाद मांग स्वीकृत हुई। इस तरह से वह चीज सदन के सामने आ चुकी है। अब नियम १०३ की रू से आप देखें कि उसमें यह है कि वैसा ही रिजोल्यूशन ६ मास के अन्दर सदन में नहीं आ सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मेरी भी कुछ सुन लें।

श्री अध्यक्ष—अभी मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नियम १०३ आप देखें। इस प्रस्ताव के दो भाग हैं—एक तो लगान आधा करने की बात है और दूसरी यह कि सब कृषकों को भूमिधरी के अधिकार दिये जायं। नियम १०९ की रू से, पहले के बारेमें जो मैंने अर्ज किया मेरा निश्चित मत है कि वह आउट आफ आर्डर है। दूसरे के बारे में मुझे भी संदेह है और संदिग्ध बात में नहीं कहना चाहता। तो रूल १०९ की रूल से अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर पूरा रिजोल्यूशन अवैध हो तो या उसका कोई जुज अवैध हो तो उसको निकाल सकते हैं। लिहाजा पहला तो बिलकुल अवैध है उसके पेश होने की आज्ञा न प्रदान की जाय।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया था उसमें मैंने यह सिफारिश की थी कि प्रदेश के उन किसानों की मालगुजारी पूर्णतः माफ की जाय जिनकी जोत ३ एकड़ से कम है। यह मैंने कभी नहीं कहा था कि समस्त किसानों की आधी मालगुजारी की जाय। इसलिये यह प्रस्ताव उससे बिल्कुल पृथक है।

श्री अध्यक्ष---जो प्रस्ताव रखा गया था वह इस प्रकार से था "भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---सरकारी अव्यावहारिक नीतियां लगान आधा न करने की गलत नीति, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

तो लगान आधा न करने को आपने क्वालीफाई नहीं किया है कि किसका लगान आधा करना है।

श्री भानुप्रतापसिंह---श्रीमन् थोड़ा-सा स्पष्टीकरण मैं कर दूं। वास्तव में जो प्रस्ताव मेरी पार्टी की तरफ से दिया गया था उसमें कुछ टेक्निकल कठिनाई थी, इसलिये नेता विरोधी दल की तरफ से प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था। तो यह भूल हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---वही दिक्कत है। आपका प्रस्ताव गलत था और मैंने आपको बताया था कि गलत है। तब जो माननीय यादवेन्द्रदत्त जी का प्रस्ताव था उसको पेश किया था। तो वह प्रस्ताव इस प्रकार से था जो मैंने अभी पढ़ा।

श्री गेंदासिंह---एक बात मेरी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---मैं अभी उस पर रूलिंग नहीं दे रहा हूं।

***श्री गेंदासिंह**---मेरा कहना है कि एक अलग ही वाद-विवाद हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री को जो आपत्ति है वह यह है कि कोई संकल्प अगर इस प्रकार का इस सदन में पहले स्वीकृत हो चुका हो तो ६ महीने के भीतर उस प्रकार का संकल्प नहीं आ सकता। यह नियम १०३ में है, जरा आप उस नियम को देखें:

"जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका हो तब ऐसा कोई संकल्प या संशोधन, जिसमें सारतः वही प्रश्न उठाया जाय, जो पहले संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।"

श्रीमन्, उस दिन संकल्प क्या था? वह यह था कि इतना करोड़ रुपया राजस्व विभाग को चलाने के लिये दिया जाय। हमारा कटौती का प्रस्ताव यह था कि १ रु० कर दिया जाय। बड़ा साफ मामला है। उसमें यह कहां था कि किसी की मालगुजारी घटा कर इतनी कर दी जाय या किसी को भूमिधर बना दिया जाय? उसकी हमारी यह दलील थी। हमने बहस को नियंत्रित करने के लिये जो उद्देश्य उसमें लिख रखा था, वह इसलिये लिख रखा था ताकि माननीय माल मंत्री को सुविधा हो, वह तैयार होकर आवें। तो वह कोई संकल्प नहीं था। आज वह भले ही कहा करें कि वह नये हैं, लेकिन वह बूढ़े हो गये हैं। उनकी यादाश्त कमजोर हो गयी है। मैं समझता हूं कि वह संकल्प ही नहीं था। लिहाजा इस समय आप कृपा करके आदेश दे दें ताकि वह प्रस्ताव लाया जा सके।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि यह निर्णय इसी पर होना चाहिये कि कटमोशन संकल्प है क्या? कटमोशन तो एक पये की कटौती के लिये था, कारण कुछ भी दिये हों, लेकिन इस रिजोल्यूशन में एक पाजिटिव एसर्शन है कि सदन का यह निश्चित मत है कि यह किया जाय। तो मैं समझता हूं कि कटमोशन को एक पाजिटिव रिजोल्यूशन की केटेगरी में लाना गलत है।

श्री अध्यक्ष---जरा मेरी बात सुन लें ताकि आप उसका भी उत्तर दे सकें। कार्यवाही और हमारी सूची में जिस प्रकार यह छपा है वह इस प्रकार है। प्रस्ताव का रूप था "अनुदान संख्या....वृहत्त जोतकर....भू-राजस्व---फिर प्रस्ताव का रूप उसमें यह है "भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य---सरकारी अव्यावहारिक नीतियां, लगान आधा न करने जैसी गलत नीतियां और विभागीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

नीतियां।" माननीय नेता विरोधी दल, आप इस पर ध्यान दें। अब प्रश्न यह है कि आपने यह बात कही कि वह तो कटौती का प्रस्ताव आया था। नियम १०३ में आप देखें, उसमें यह नहीं लिखा हुआ है, "जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया जाता हो तो ऐसा कोई संकल्प या संशोधन, जिसमें सारतः वही प्रश्न उठाया जाय, पहले संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायगा", यह नहीं है कि कोई बात निश्चित हो चुकी हो जैसा कि और नियम में, जगहों पर है। ११४ में आप देखें "किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान् रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में या पिछले छः महीने के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, निश्चय कर चुकी हो।" शब्दावली बतला रही है कि इस नियम ११४ का यह तात्पर्य या मंशा है कि डिसीजन हो चुका हो तो वह प्रस्ताव नहीं आ सकता। और यहां १०३ में डिसीजन का उपबन्ध नहीं है। अगर ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है चाहे डिसीजन उस पर हुआ हो या न हुआ हो तो उस सारवान प्रश्न को ६ महीने के अन्दर नहीं उठाया जा सकेगा। अब कृपया जरा संकल्प और प्रस्ताव की परिभाषाओं को देखने की कृपा करें। "संकल्प" का तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो सामान्य लोक हित के लिये किसी विषय पर चर्चा करने के लिये किया जाय और "प्रस्ताव" का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा सभा के विचारार्थ की गई प्रस्तावना से है और उसमें संकल्प तथा उसका संशोधन भी सम्मिलित है।

अब इस परिभाषा को देखते हुये १०३ में संकल्प के स्थान पर जो उसकी परिभाषा है वह वहीं पढ़िये तो यों हो जायगा कि---

"जब कोई संकल्प के स्थान पर प्रस्ताव, जो सामान्य लोक हित का हो, प्रस्तुत किया जा चुका हो तब ऐसा कोई संकल्प या संशोधन जिसमें सारतः वही प्रश्न उठाया जाय पहले संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से ६ महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायगा।"

यह २५ अप्रैल की कार्यवाही है। तो जो माननीय गेंदासिंह जी ने कहा उसको स्वीकार करने में तो कठिनाई प्रतीत होती है, संकल्प में अगर प्रस्ताव सम्मिलित है और प्रस्ताव कटौती का आ चुका है। माननीय गेंदासिंह ने एक उसमें बात उठाई जिसके ऊपर आप ध्यान दें। वह कहते यह हैं कि हमारे कारण चाहे कुछ हों कारण प्रस्ताव का अंश नहीं है। संकल्प या प्रस्ताव में तो यही होता है कि हम प्रस्तावना करते हैं कि आधा लगान कर दिया जाय। अगर आधा लगान नहीं करते हैं तो हम आपको इतना अनुदान नहीं देंगे। इस प्रकार की बात आती है।

अब जरा आप लोग १९० भी देखें। उसका शीर्षक है:"कटौती का प्रस्ताव।" किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायगा कि मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जायगा, ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शायेगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो। तो आपके प्रस्ताव का कारण प्रस्ताव का अंग हो जाता है कि किन कारणों से आप उस प्रस्ताव को रख रहे हैं। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर जो भी आप उचित समझें कहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रश्न रखा कि रेजोल्यूशन क्या होता है और कट मोशन क्या होता है, क्योंकि आपका जो रूल १०९ है---मुझे दुःख है कि मेरे पास अंग्रेजी का है---उसमें लिखा है---

"The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part

thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules".

और नियम १०३ में यह है--

"When a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months from the date of the moving of the earlier resolution."

कट मोशन में किसी सेकेंडर की आवश्यकता नहीं होती, रेजोल्यूशन में एक सेकेंडर की आवश्यकता होती है। दोनों के रूप में अन्तर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--यह जो संकल्प आप रखेंगे इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--कट मोशन अगर रेजोल्यूशन माना जाय तो यह गलत होगा। और उसकी भाषा भी देख लें। यह भाषा बड़ी स्पष्ट है---

"भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।"

यही अगर रेजोल्यूशन मान लिया जाय एक मिनट के लिये, तो हमारा बड़ा स्पेसीफिक रिजोल्यूशन है कि भू-राजस्व की मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय। कारण एक रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर हम कोई बात कहते हैं, लौजिक देते हैं या कारण देते हैं, तो वह रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकता है। यहां हमारी बात बड़ी स्पष्ट है। हमारा प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट है। इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं। यह हमारा रिजोल्यूशन स्पष्ट है और इसके कारण और हो सकते हैं। यहां हमारा रिजोल्यूशन था कि भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। अब कारण को रिजोल्यूशन से जोड़ना मैं उचित नहीं समझता हूं। यह मैं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी बड़े चतुर लाइयर हैं। (व्यवधान) अगर वह नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूं कि वे ला से अनभिज्ञ हैं। कारण हमारे कुछ भी हो सकते हैं और यह कहना कि कारण ही रेजोल्यूशन है, ठीक नहीं है। जैसा श्रीमन्, व्याकरण में कारक को विशेषण से जोड़ा जाय तो यह ठीक नहीं है और यह जोड़ना अनुचित है।

हमारा प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट है और इसमें ज्यादा रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिये कारण को जोड़ने के बाद कहना कि यह प्रस्ताव था इसलिये रिपीटीशन नहीं हो सकता है, अनुचित होगा। हमने रिपीटीशन नहीं किया। अगर यह हो जाय तो मैं आप से कहूं कि हम लोग बहुत सी बातें बजट में कहते हैं, जनरल डिबेट में कहते हैं, अब आप यह कहें कि अब न कहो, क्योंकि आप यह बातें कह चुके हैं, उचित नहीं है। कान्क्लूजन से लौजिक नहीं जोड़ी जा सकती है। यह गलत चीज होगी। इसलिये हमें ज्यादा रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। संकल्प में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पष्ट है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री जी का यह तर्क नहीं है, बल्कि हेयर स्प्लिटिंग के आधार पर जो चीज कही गयी है यह इल्लीगल है। इसलिये जो एतराज राजस्व मंत्री जी ने उठाया है उसको रिजेक्ट करें और जैसा मूल प्रस्ताव है उसको रहने दिया जाय। उस समय केवल एक रुपया घटाने का प्रस्ताव था। उसमें कारण नहीं जोड़ा जा सकता है। कटमोशन रिजोल्यूशन के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिये कट मोशन की बात लेकर रिजोल्यूशन में लाना और कहना कि रिजोल्यूशन हो चुका है, अनुचित होगा, क्योंकि दोनों में अंतर है, अन्यथा उसको भी रिजोल्यूशन कहा जाता। कट-मोशन क्यों कहा गया? इसीलिये कि दोनों अलग-अलग हैं। इसलिये दोनों को मिलाना और उद्देश्य को भाषा के साथ जोड़ना अनुचित है। अतः एतराज को रिजेक्ट करके मूल प्रस्ताव स्वीकार करें।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने परिभाषा के ऊपर कहा, प्रस्ताव और संकल्प की, वह चीज विचारणीय है कि संकल्प और प्रस्ताव की परिभाषा में क्या अन्तर है। प्रस्ताव के अन्दर संकल्प और संशोधन दोनों आते हैं। अगर नियम १०३ का जो जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया उसमें प्रस्ताव शब्द नहीं है, बल्कि संकल्प शब्द है। तो जो संकल्प का अर्थ है वही वहां होना चाहिए, परन्तु संकल्प का अर्थ बिलकुल अलग है। उससे प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं। फिर जैसा आपने १९० में कहा, कटौती का प्रस्ताव संकल्प नहीं है। वह प्रस्ताव है। १०३ में जो है वह संकल्प है, प्रस्ताव नहीं है। इसलिए दोनों को एक में मिलाना गलत होगा, संकल्प अलग चीज है, प्रस्ताव अलग चीज है। आज जो हमारे सामने प्रस्तुत है वह संकल्प है। उस दिन प्रस्ताव उपस्थित था। प्रस्ताव की बात प्रस्ताव के साथ चली गयी। आज संकल्प की बात है, संकल्प पर बहस होनी चाहिए।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, आप किसी विधेयक को देखें उसके अन्त में उस विधेयक का उद्देश्य लिखा रहता है। तो क्या कभी उद्देश्य विधेयक का अंग हो जायगा? उद्देश्य के अनुसार विधेयक को लिपिबद्ध करना पड़ता है, लेकिन कभी भी उद्देश्य विधेयक का अंग नहीं हो सकता है। आपसे ज्यादा जुडीशल अनुभव मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी का शायद हो.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं हमारा भी नहीं है।

श्री गेंदासिंह—किसी भी कोर्ट के सामने कोई अक्लमंद वकील यह बहस कर सकता है कि जो उद्देश्य लेजिस्लेचर का है उससे शब्दावली बदल गयी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भाषा और शब्दावली देखेगा या उद्देश्य और कारण देखेगा ?

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बता दूं, चूंकि वकालत की बात आपने कही। उद्देश्य जो विधेयक के होते हैं वह इस सदन द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। केवल प्रस्तावना, शीर्षक और खंड एक साथ जाते हैं। उद्देश्य न कानून का जुज होते हैं, न उससे न्यायालय प्रभावित होता है।

श्री गेंदासिंह—अब आप जरा उस रोज की प्रोसीडिंग्स को देखें। उसमें यह लिखा हुआ है माननीय भानुप्रताप का जो कटौती का प्रस्ताव था वह गिर गया। उसमें माननीय भानु प्रतापसिंह ने या अन्य सदस्यों ने जो-जो बातें कहीं क्या वह सब बातें गिर गयीं ? मैं समझता हूं कि यह फार फेच्ड है, जो माननीय राजस्व मंत्री जी बात करते हैं। ऐसी हालत में सदन का वक्त बेकार खराब करना है। मैं समझता हूं कि वह इसको वासय लें और अगर वापस न लें तो पूछ.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जो बातें कही जा चुकी हैं वह न दोहरायी जायं। श्री रघुनाथ सिंह, दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—जैसा कि श्रीमन् ने अपने विवेचन में बताया कि कटौती के प्रस्ताव के अवसर पर जो चर्चा हुई थी वहां यह प्रश्न अंग रूप में तो आ गया है ही लेकिन यहां संकल्प अंगी रूप में आया है, अंग रूप में नहीं। अंग और अंगी में हमारे भारतीय दर्शन में बड़ा भेद माना गया है। अंग अंगी नहीं बन सकता। अंगी का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी ही विवेचना के आधार पर इस प्रस्ताव पर अपनी अनुकूल रूलिंग दें।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १०५ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं—

"जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेन न दें, असरकारी सदस्यों को संकल्पों के निस्तारण के निमित्त किसी दिन की कार्यसूची में (नियम २६ के परन्तुक के अन्तर्गत अवशिष्ट किसी संकल्प के अतिरिक्त) पांच से अधिक संकल्प नहीं रखे जायेंगे।"

श्रीमन्, यह आप निश्चय करते हैं और इस निश्चय के लिए नियम २५ आप देखें, उसमें लिखा है—

"असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा। सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से विनिश्चित करें।"

तो मेरा कहना यह है कि आज यह कौन-सा मौका है ? जब संकल्प विनिश्चित किये जा रहे थे और जबकि अध्यक्ष नेता सदन से परामर्श करके यह विनिश्चय कर रहे थे कि फलां संकल्प लिया जाने वाला है उस समय नेता सदन ने इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया कि यह उस प्रस्ताव से सम्बन्धित है जो एक बार पारित हो चुका है, इसलिए यह संकल्प नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आपने कौन-सा नियम पढ़ा ?

श्री नरसिंहनारायण—मैंने नियम १०५ पढ़ा जिसमें आप यह निश्चय करेंगे और उसके बाद नियम २५ पढ़ा जिसमें कि सदन के नेता की राय से आप यह निश्चय करेंगे कि यह संकल्प शलाका में आवे या न आवे। इसके मुताबिक नेता सदन ने पूरे तरीके से जांच करने के बाद परामर्श दिया होगा कि यह संकल्प प्रस्तुत किया जाय। यह चीज अगर उनके दिमाग में थी कि यह पहले पारित हो चुका है तो उसी समय उनको कहना चाहिए था। आज वह इस बात को नहीं कह सकते। तो मेरा कहना यही है कि यह बहुत ही लेट आवर है।

श्री अध्यक्ष—नेता सदन कहां लिखा हुआ है ?

श्री नरसिंहनारायण—२५ को आप पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—यह नियम २५ तो सरकारी कार्य के लिए है ?

श्री नरसिंहनारायण—"सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से विनिश्चत करें।" यह श्रीमन्, उस में सरकारी और असरकारी दोनों का लिखा हुआ है। तो यह असरकारी संकल्प जिस समय लिया गया उस समय नेता सदन ने क्यों नहीं इसकी चर्चा की ?

श्री अध्यक्ष—जरा बैठ जाइए, सुन लीजिये।

"असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा।"

इसका मतलब यह है कि नियम २५ जो सरकारी कार्य के लिये दिन निश्चित करता है और कहता है कि असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण—तो श्रीमन्, निवेदन यह है कि यह जो असरकारी दिवस रखा गया है यह तो असरकारी दिवस हमारा पहले से था। आज तो इसलिये रखा गया है कि पहले असरकारी दिवस हम लोगों को नहीं मिल सके थे और नेता सदन के परामर्श से इस सर-

[श्री नरसिंहनारायण]

कारी दिवस को असरकारी दिवस माना गया है, उनकी राय से यह असरकारी दिवस रखा गया है। तो यह जो विनिश्चय हुआ यह नेता सदन की राय से हुआ। इसलिये यह प्रश्न आज नहीं उठना चाहिये कि यह संकल्प नहीं लिया जा सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मुझे एक ही बात कहनी है कि अध्याय १५ के शुरू में आप देखें, यह लिखा हुआ है कि यह जो प्रक्रिया है जिसमें कि कटौती के प्रस्ताव आते हैं यह एक विशेष रूप से वित्तीय विषयों के लिये बनायी गई है और यह इस प्रकार से असरकारी जो संकल्प हैं या और दूसरे संकल्प हैं, उन पर लागू नहीं होती। जब हम कटौती का प्रस्ताव रखते हैं उस समय वह जो सरकार का बजट होता है उसी के संबंध में अपनी बात रखते हैं। तो यह सब एक विशेष प्रक्रिया अध्याय १५ में बनाई गई है और इसीलिये उसके ऊपर ही लिख दिया गया है कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। तो उसके पहले जो १०३ और १०२ नियम हैं उनके संबंध में यह विशेष प्रक्रिया है।

दूसरी बात यह है कि सदन का काम चलाने के लिये आप एक परिपाटी बना चुके हैं। इसके पहले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो संकल्प आया था उसके संबंध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। आप उन बातों को स्वीकार कर चुके हैं जो उसके संशोधन में कही गई थीं कि १०० रुपया कम से कम वेतन होना चाहिये। उन सब प्रस्तावों का यहां पर जिक्र किया जा चुका है और स्वीकार किया जा चुका है? जो परिपाटी, अध्यक्ष महोदय, पहले स्वीकार कर ली गई है तो वही इस हमारे प्रस्ताव के संबंध में भी स्वीकार करने की कृपा करें। जब १ रुपया १२ आने मन गन्ने का दाम करने का मोशन इस सदन के सामने आया था तो उसके एक या सवा महीने के अन्दर ही उस संबंध में फिर विवाद हुआ था। उसको मैं निकाल कर आपको दिखा सकता हूं। जिस महीने उस पर विवाद हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद ही पूरे सदन ने उस पर फिर विवाद किया था। उस पर भी कहा गया था कि कटौती का प्रस्ताव आ चुका। किन्तु असरकारी प्रस्ताव पर सभी लोग अपना विचार प्रकट करना चाहते थे और इधर तथा उधर के लोगों ने अपने विचार प्रकट किये और कहा कि एक रुपया बारह आना मन गन्ने का दाम होना चाहिये। यह जो हमारा प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है वह केवल इसलिये रखा गया है कि इस पर तमाम सदन की राय जानी जा सके। उसमें एक पार्टी के दृष्टिकोण रखने का प्रश्न नहीं है। इसलिये वित्तीय कार्यक्रम के संबंध में, जो विशेष प्रक्रिया है जिसका जिक्र करते हुये माल मंत्री जी ने आपत्ति की, उस वित्तीय कार्यक्रम की इसमें कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक विनम्र निवेदन करना है और वह यह है कि 'रेज्योलूशन' और 'मोशन' यह दोनों शब्द अलग-अलग हैं। आपको याद होगा कि इस पर आपका क्या खयाल था और आपने ही इस ओर ध्यान दिलाया था। मैं यह समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। मैं यह महसूस करता हूं। लेकिन मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से और आपसे भी कि 'रेजोल्यूशन' और 'मोशन' इन दो शब्दों के हेर-फेर में इस अवसर से लाभ उठाया जा रहा है। मैं तो नया सदस्य हूं और जुम्मा-जुम्मा ८ दिन की बात है कि मैं यहां पर आया हूं, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी की जिन्दगी तो इसी सदन में व्यतीत हो रही है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो सर्वमान्य परम्परा रही है कि बहुत सी बातें जनरल बजट के संबंध में कही जाती हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे निवेदन किया कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति न की जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—उन्होंने कटौती के संबंध में बात कही । मैं यह कहता हूं कि बजट पर जो जनरल डिबेट होती है उसमें कुछ ऐसी बातें बाकी रह जाती हैं जो इधर या उधर के सदस्यों द्वारा न कही गई हों । यदि उन बातों को गैर सरकारी दिवस पर हम लोग नहीं कहेंगे और यह परम्परा अगर लागू कर दी जायगी तो जो लिखित या अलिखित नियम हैं और जिनको हम परम्परा कहा करते हैं तो यह सदन की मर्यादा का उल्लंघन होगा, यदि हम से गैर-सरकारी दिवस छीना जा रहा है ।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि असरकारी दिवस के अतिरिक्त कोई संकल्प सरकारी दिवस को पेश नहीं किया जा सकता । आज असरकारी दिवस पर यह संकल्प पेश हो रहा है । बजट वाले दिन जिस रोज यहां पर राजस्व मंत्री ने बजट पेश किया था उस दिन सरकारी दिवस था । उस रोज यह संकल्प पेश किया जाता तो इस संकल्प को पेश करने की आप इजाजत नहीं दे सकते थे । लिहाजा उस दिन का मोशन संकल्प नहीं था । उस दिन कटौती का प्रस्ताव पेश किया था । आज जो यह असरकारी दिवस पर पेश किया जा रहा है यह संकल्प है । इसलिये उस मोशन से इस संकल्प का कोई टकराव नहीं हो सकता ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को केवल दो ही बातों तक सीमित रखना चाहता हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी है, यदि सदन की परंपराओं और मर्यादाओं को अलग रखा जाय तो भी, कानूनी दृष्टि से उनकी आपत्ति में कितना फोर्स है उस पर मैं अपनी राय देना चाहता हूं और मेरी निश्चित राय है कि माननीय राजस्व मंत्री जी की आपत्ति निराधार है ।

श्रीमन्, आप देखें तो नियम १०३ में कहा गया है कि कोई संकल्प ६ महीने के अंदर दुबारा नहीं लाया जा सकता । उनकी आपत्ति यह है कि चूंकि कट मोशन में ठीक यही बात कही गयी है लगान आधा करने की, इसलिये यह प्रस्ताव आ चुका है, आकर गिर चुका है और इसलिये दुबारा नहीं लाया जा सकता । आप देखें कि उस समय प्रस्ताव क्या था । प्रस्ताव यह नहीं था कि लगान आधा किया जाय । उस समय प्रस्ताव यह था कि "मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय" प्रस्ताव ऐसा ही हुआ था और उसके आगे कहा गया था कि मांग में अंतर्निहित नीति का अननुमोदन करने के लिये यह किया जाय । जो प्रस्ताव था वह इन्वर्टेड कामाज में दिया हुआ है । अब यह प्रस्ताव हम क्यों लाना चाहते हैं उसकी व्याख्या करते हुये हमने वह सब बात कही है । मांग की राशि घटाने का उद्देश्य सरकार की नीति की आलोचना करना था ।

श्री अध्यक्ष—यह सब बातें दुबे जी कह चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत—मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे नियमों में प्रस्ताव की रूपरेखा दी हुई है और हम उसकी व्याख्या करें या न करें यह दूसरी बात है । इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिये ।

दूसरे, उस कट मोशन में बहुत सी बातें कही गयी थीं । क्या आज का प्रस्ताव उसी प्रकार का है ? आज के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं । यह प्रस्ताव दूसरा है । तो मेरा निवेदन यह है कि उस प्रस्ताव की व्याख्या में वह बात कही गयी थी, वह मूल प्रस्ताव नहीं था । इसलिये जो आपत्ति माननीय राजस्व मंत्री जी ने उठायी है वह निराधार है । उसे आप अस्वीकृत करें और इस पर अपनी रूलिंग दें । अन्यथा उनका जो मकसद है कि इस पर बहस न हो सकें, वह पूरा हो जायगा ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—श्रीमन्, जो मामला इस वक्त पेश है उसमें तीन एक्सप्रेशन्स, तीन टर्म्स के माने हमको लगाने हैं। एक तो रेजोल्यूशन है—प्रस्ताव, दूसरा क्वेश्चन है यानी प्रश्न और तब हमको देखना है कि कट मोशन क्या है। रेजोल्यूशन की जो तारीफ (परिभाषा) दी हुई है नियमों में हमको वही माननीय होगी। उसके बाहर हम नहीं जा सकते। उसमें लिखा हुआ है कि :

"Resolution" means a motion for the purpose of discussing a matter of general public interest;

(व्यवधान)

एक सदस्य—हिन्दी वाला पढ़िये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रस्ताव के माने हैं मोशन जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात डिस्कस की जाय।

तो जो रेजोल्यूशन की तारीफ (परिभाषा) दी हुई है... (व्यवधान) उसके अंदर कट-मोशन आ जाता है। तो अब जो कटमोशन है वह रेजोल्यूशन तो अवश्य है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव और प्रश्न दो अलग-अलग चीजें हैं। एक प्रस्ताव में सैकड़ों प्रश्न हो सकते हैं। यह नहीं है कि एक प्रस्ताव में एक ही प्रश्न हो। जो नियम १०३ है उसमें यह नहीं कहा गया है कि वैसा एक रेजोल्यूशन पेश किया गया हो। उसमें यह कहा गया है कि रेजोल्यूशन रेंजिंग दैट प्वाइंट, रेंजिंग दैट क्वेश्चन। इसके माने यह हैं कि अगर कोई रेजोल्यूशन हुआ, कोई प्रश्न हुआ है जिसमें वह प्रश्न उठाया गया है तो वह प्रश्न दुबारा नहीं उठाया जा सकता। यह नहीं है कि वह रेजोल्यूशन नहीं पेश किया जा सकता।

इसलिये मैं बिना उन बातों को दोहराये यह निवेदन करूंगा कि कटमोशन रिजोल्यूशन है और उस को रिजोल्यूशन के प्रश्न से अलग रखना है। एक रिजोल्यूशन में बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, जो कि नियम १०३ में लिखा हुआ है कि "सब्सटेंशियली दी सेम क्वेश्चन" वही क्वेश्चन इस प्रस्ताव में हो। तो जो बहस की जाती है उसमें मैं समझता हूं कि कोई आधार नहीं है कि यह रिजोल्यूशन फिर पेश किया जा सकता है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—मान्यवर, चूंकि यह कानूनी मसला है, इसलिये आपकी आज्ञा से उसमें बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहता हूं। एक छोटी-सी बात में निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसमें सप्लाई की जानी चाहिये कि जिस कटमोशन का बराबर जिक्र हो रहा है यदि वह पास हो जाता तो प्रोसीडिंग्स में क्या लिखा जाता।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पास हो जाता तो आप इस्तीफा दे देते।

श्री बृजभूषणशरण—सवाल यह है कि यदि वह कट मोशन पास हो जाता तो प्रोसीडिंग्स में क्या लफ्ज लिखे जाते? मेरी राय यह है कि यही शब्द लिखे जाते कि अनुदान की मांग काटकर १ रुपया कर दी जाय। यह स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

तो उसका वही स्वरूप मानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आपके पक्ष में बोल रहे हैं तब भी आपको असंतोष है।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने यह फरमाया कि कटमोशन और रिजोल्यूशन अलग-अलग चीजें हैं। मैं आपका ध्यान जो डिफीनिशन्स हैं पहले चैप्टर में, उधर ले जाना चाहूंगा कि उसमें मोशन के माने साफ दिये हुए हैं और मोशन के माने देते हुये लिखा हुआ है कि—"Motion" means a proposal

made by a member for consideration of the Assembly and includes a resolution and an amendment to a motion. तो कटमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, साफ जाहिर है कि मोशन में रिजोल्यूशन भी शामिल है। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो लफ्ज कहना चाहती हूं। जो रिजोल्यूशन और मोशन हैं, दोनों इटरचेंजेबुल वर्डस् हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—कृपया हिंदी शब्दों का प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो सकता है, आप केवल उसका अर्थ मांग सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—जिस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्यायवाची न मिले तो उसका केवल प्रयोग हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—किसी अंग्रेजी वाक्य का, जो बोला जाय उसका हिंदी अनुवाद किया जाय। अतएव आप केवल अनुवाद मांग सकते हैं।

श्रीमती सुचेताकृपालानी—आपके सामने चैप्टर १ पढ़ा गया है। उसमें मोशन की डिफिनीशन दी हुई है। संकल्प और प्रस्ताव दोनों का अर्थ और विवरण दिया हुआ है। यह दोनों शब्द इन्टर-चेन्जेबुल हैं। इन दोनों शब्दों के दो अलग-अलग मतलब हो सकते हैं, ऐसा तो मैं नहीं समझती हूं। दूसरा सवाल यह है, कि कटमोशन या कटौती के प्रस्ताव का दायरा या स्कोप कितना है। जब एक कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें यह बताया जाता है कि अमुक मद में अमुक रकम की कटौती की जाय लेकिन उसमें साथ ही साथ यह भी साफ जाहिर रहता है कि यह कटौती किस मकसद के लिये की जा रही है। जब तक आप उसका मकसद नहीं बतायेंगे तब तक यह कटौती का प्रस्ताव ठहर नहीं सकता या मंजूर नहीं हो सकता। इसलिये कटौती के प्रस्ताव करने के कारण उसमें संलग्न हैं। प्रस्ताव के कारण प्रस्ताव में अन्तर्निहित हैं। इनको आप अलग-अलग नहीं कर सकते। मैं नियम पढ़ दूं, मेरे पास अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष—वह पढ़ा जा चुका है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ठीक है, तो रूल्स में साफ दिया हुआ है, उसमें विषय भी संलग्न रहता है, बिना उसके कटौती का प्रस्ताव ठहर नहीं सकता। इसलिये यह एतराज उठ सकता है कि ६ महीने के अन्दर दूसरा प्रस्ताव इस विषय में नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—मैंने अब आप सब की राय जान ली है। मुझे १५ मिनट का समय अध्ययन करने के लिये चाहिये।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—श्रीमन्, एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहता हूं ....

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, अब काफी विवाद इस पर हो चुका है। आपने १५ मिनट का समय अध्ययन के लिये मांगा है, सो आप १५ मिनट के लिये अपने स्थान पर दूसरे आदमी को प्रेसाइड करने के लिये बिठा दें।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में मैंने काफी सुन लिया है। मैं कुछ समय चाहता हूं ताकि मैं इसको देख लूं मेरा खयाल है कि अब हम पौने दो बजे बठ जायं।

[श्री अध्यक्ष]

अब हम उठते हैं और पौने दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर २६ मिनट पर, सदन १ बजकर ४५ मिनट तक के लिये स्थगित हो गया ।)

(१ बजकर ४५ मिनट पर सदन की बैठक, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री उपाध्यक्ष—अभी अध्यक्ष महोदय विचार नहीं कर पाये, वह तय कर रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसलिये १५ मिनट के लिये यानी २ बजे तक के लिये यह सदन स्थगित किया जाता है।

अब हम २ बजे फिर बैठेंगे ।

(सदन की बैठक २ बजे तक के लिये पुनः स्थगित की गयी ।)

(२ बजे सदन की बैठक, श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप कोई व्यवस्था दें, मैं केवल दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । मेरा खयाल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने आज जो इतना समय सदन का लिया है उसके पीछे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है । वह साफ-तौर पर यह चाहते हैं कि यह प्रस्ताव न आने पाये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल जिस तरह से उस सवाल पर बहस की गई उसके बाद आज यह सवाल पैदा कर दिया गया कि माननीय नेता विरोधी दल का यह प्रस्ताव न आने पाये और उसमें जो मेरा संशोधन अलाभकर जोतों से लगान घटाने का है वह न आने पाये, तो इन सारी चीजों के पीछे माननीय राजस्व मंत्री का राजनीतिक दृष्टिकोण है । इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सदन में इस तरह की व्यवस्था पैदा की गई, सदन को एक अखाड़ा बनाया गया और गैर सरकारी दिवसों को हमसे छीना गया तो निश्चित तौर पर माननीय राजस्व मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं, वह सुन लें, कि फिर इस सदन में कौन सी परम्परा कायम हो सकेगी. . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जायं, मुझे जो कुछ कहना है, वह आदेश हो जाय, तब आपको जो कुछ कहना होगा वह कहियेगा ।

माननीय यादवेन्द्रदत्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा किया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं, इस के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री की आपत्ति यह है कि दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ को माननीय भानुप्रताप सिंह ने अनुदान भू-राजस्व के अधीन नियम १९० के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :

प्रस्ताव : भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।
कमी करने का उद्देश्य :

१—सरकारी अव्यावहारिक नीतियां । (२) लगान आधा न करने जैसी गलत नीतियां और विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय राजस्व मंत्री का यह कहना है कि प्रस्तुत संकल्प का प्रथम भाग सारतः वही प्रश्न उठाता है जो उपर्युक्त प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जा चुका है । अतः ६ महीने न व्यतीत होने के कारण संकल्प का उतना अंश अनियमित है । इसके विपरीत पहला तर्क यह है कि नियम १०३ की प्रथम पंक्ति में संकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्ताव का नहीं । उत्तर में यह कहा जाता है कि संकल्प की परिभाषा में यह निहित है कि संकल्प के तात्पर्य में प्रस्ताव भी आ जाता है ।

दूसरा तर्क यह है कि श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में जो कारण रूप में विवरण दिये गये हैं वह संकल्प के अंश नहीं समझे जाने चाहिये। इसके उत्तर में नियम १९० पर ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा गया कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रस्तावों में नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शाना आवश्यक है। क्योंकि चर्चा, प्रस्तावों में उल्लिखित कारण व उद्देश्य तक ही सीमित रह सकती है अतः इस नियम की मांग की पूर्ति के लिये कमी करने के उद्देश्य प्रस्ताव के अंग बन जाते हैं। २५ अप्रैल, १९६२ को प्रश्न उपस्थिति करते समय भी इन उद्देश्यों को प्रस्ताव का अंग मानकर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अस्वीकृत हुआ।

तीसरा तर्क यह है कि अध्याय १५ वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित है, अतः नियम १९० में प्रस्ताव का अर्थ वही नहीं हो सकता है जो नियमावली के अन्य स्थलों में अपेक्षित है। उसके उत्तर में यह कहा जाता है कि परिभाषा में अथवा नियमावली के किसी भी भाग में इस प्रकार का अन्तरभेद होना उपबंधित नहीं है। एक तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि सदन की परम्परा यह रही है कि यह ६ मास का समय असरकारी संकल्पों के संबंध में लागू नहीं किया जाता रहा है। इसके कुछ उदाहरणों के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया। परम्परायें बनने का आधार यह होता है कि सदन के ध्यान में यह बात हो कि संकल्प विशेष, पूर्व चर्चा के कारण प्रतिबंधित है और यह जानते हुये भी आपत्ति न की जाय या आपत्ति होने पर उसकी उपेक्षा की जाती रही हो, तो परम्परा बनती है। ऐसे कोई उदाहरण मेरे सामने उपस्थित नहीं किये गये।

एक तर्क यह उपस्थित किया गया कि संकल्प का पूरा रूप देखना चाहिये, अंशतः वह अस्वीकृत नहीं हो सकता। इसका उत्तर यह दिया गया कि एक ही संकल्प में अथवा प्रस्ताव में भिन्न-भिन्न भाग हो सकते हैं और भिन्न-भिन्न प्रश्न उठाये जा सकते हैं, अतः किसी संकल्प के अंश को नियम १०३ के अन्तर्गत अनियमित घोषित किया जा सकता है। नियम १०३ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार से हैं: "वही प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो संकल्प द्वारा ६ महीने के अन्तर्गत उठाया जा चुका है'। अतः जो आपत्ति माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई है उससे सहमत होकर संकल्प के प्रथम भाग को मैं अनियमित घोषित करता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, आपकी इस रूलिंग पर मुझे बहुत दुख है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जिसका संबंध सारे प्रांत के किसानों से है कानून की ओट में दबाना उचित नहीं है। लेटर आफ ला के साथ स्प्रिट आफ ला भी देखी जाती है। जो प्रस्ताव आज सुबह था उसी से संबंधित बातें, यही बातें, राज्यपाल के संबोधन के समय भी कही गई थीं और यह बराबर इस सदन की परम्परा भी रही है। एक प्रश्न माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के द्वारा उठाया गया था कि रूल्स मनी बिल्स के लिये हैं। उसका निराकरण आपने अपनी रूलिंग में नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—दिया है। मैंने कहा कि यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अध्याय १५ में जो प्रस्ताव का शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ वही नहीं है जो नियमावली के अन्य स्थलों में दिया जाता है। तीसरा तर्क यह है कि अध्याय १५ वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित है, अतः नियम १९० में "प्रस्ताव" का अर्थ वही नहीं हो सकता जो नियमावली के अन्य स्थलों में अपेक्षित है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इस कारण से श्रीमन् मैं समझता हूं कि जो आपने रूलिंग दी है वह प्रांत की आवश्यकता और मनोभावना के महत्व के विपरीत है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपकी रूलिंग पर विवाद नहीं हो सकता। (शोर)

श्री अध्यक्ष—अभी उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया है। अभी तो वह कह रहे हैं कि उन्हें दुख है कि इस प्रकार की रूलिंग हुई। मैंने अपना आदेश, निर्णय दे दिया है। उसके आगे वह क्या कहना चाहते हैं, आप सुन लीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मेरा यही निवेदन है कि इस तरह की महत्वपूर्ण बात को नियमों के घुमाव में, माननीय राजस्व मंत्री की आपत्ति पर, दबाना उचित नहीं है। यह प्रश्न बड़े महत्व का है और इसमें सारे प्रांत के किसानों की मनोभावना का प्रश्न है। अगर ऐसी बात को भी नियमों से दबाया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि सदन का कार्य किसी सम्मानित ढंग से चलना भी असंभव हो सकता है। अगर इस तरह की चीजें हुयीं तो वे सदन के कार्य में बाधक होंगी। अतएव मैं, श्रीमन् से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वह एक बार अपनी रूलिंग पर फिर विचार करें। नियम या ला समाज के लिये बनता है, न कि समाज नियम के लिये। इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि चूंकि सदन के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो आप पुनर्विचार कर अपनी व्यवस्था दें। यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, संकल्प की ग्राह्यता की शर्तों को देखें। उसमें साफ लिखा है कि संकल्प में सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा, "उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।"

श्री अध्यक्ष—वह बहस समाप्त हो गयी है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब मुझे आपकी आज्ञा के बिना यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। जब जब आधे लगान का सवाल आता है.....

श्री अध्यक्ष—टम्बेश्वरीप्रसाद जी, आप बैठ जायं, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं। (श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के बोलते रहने पर) अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप कृपा करके सदन छोड़ें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं अपनी बात कहने के लिये आया हूं और अपनी बात कहकर ही सदन छोड़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं इस तरह से सदन नहीं छोड़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि माननीय सदस्य आदेश नहीं मान रहे हैं। मैं इनको इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि टम्बेश्वरी प्रसाद जी को इस सदन की सेवा से २ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद को इस सदन की सेवाओं से २ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी सदन छोड़ दें। मैं मार्शल को इसके लिये आज्ञा देता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं अपनी बात कह कर ही जाऊंगा।

(मार्शल ने श्री टम्बेश्वरीप्रसाद से सदन के बाहर जाने के लिये आग्रह किया। उनके सदन न छोड़ने पर सदन में गड़बड़ होने लगी और कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं सदन में बहुत गड़बड़ हो रही है अतः सदन की कार्यवाही स्थगित होती है और अब हम ३ बजे फिर बैठेंगे।

(२ बजकर १४ मिनट पर बैठक ३ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी। इस अवधि में सदन में उपस्थित सदस्यों ने और अधिक शोर मचाना शुरू किया। श्री लखीसिंह अध्यक्षासन पर जाकर बैठ गये और अशांति का वातावरण बना रहा। कुछ सदस्य भाषण भी देते रहे।

२ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल ने घोषणा की कि सभा मंडप कक्ष तथा दीर्घायें अविलम्ब खाली कर दी जायं। इस पर भी सदन में शांति स्थापित नहीं हुयी। सदन की कार्यवाही के पुनः आरम्भ होने से थोड़ी देर पूर्व श्री लखीसिंह अध्यक्षासन से हट कर अपने स्थान पर आ गये।)

(३ बजे सदन की बैठक श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं। आपने जब सदन बन्द किया था, जो परिस्थिति थी, उसमें आपने उचित समझा और तीन बजे तक के लिये कार्यवाही बन्द की। उसके बाद हम लोग सदन में बैठे हुये थे। मार्शल तशरीफ लाते हैं और आने के बाद उन्होंने यह घोषणा की कि यह सदन बिलकुल खाली कर दिया जाय। इसके बाद जो खे थे वे बन्द कर दिये गये, रोशनी बन्द कर दी गई, लाउड स्पीकर बन्द कर दिया गया। मैं समझता हूं जो परिस्थितियां आज सदन में पैदा हुईं और जिसके ऊपर यह स्थिति पैदा हुई, मैं कहना चाहता हूं कि फ्रीडम आफ स्पीच का मखौल उड़ाया गया, सरकारी बेंच के द्वारा प्रस्ताव को नहीं आने दिया गया एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में। मार्शल ने यह कहा कि इस सदन के सदस्य जो बैठे हुये हैं, सदन को खाली कर दें। मैं जानना चाहता हूं क्या आपने उनको यह आदेश दिया था कि वह इस प्रकार का हम लोगों को आदेश दें?

श्री अध्यक्ष—मैं उस आदेश को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—आपने कहा नियम के अनुसार आदेश दिया। तो किस नियम के अनुसार ऐसा किया?

श्री अध्यक्ष—उसको पढ़ कर सुना दूं फिर कुछ कहिये।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—आपने सदन में मुझको इंगित होने के बाद बिना वोटिंग कराये मुझको सदन से बाहर जाने को कह दिया और मार्शल को भेज दिया। प्रक्रिया नियमावली के कौन से नियम में ऐसा है?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, मुझे एक बात कहनी है.....

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न चन्द्रजीत यादव जी ने उठाया है उसका जवाब पहले दे दूं फिर आप बोलियेगा।

श्री नरसिंहनारायण—जो माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा उसी संबंध में कहना है। जब यह सदन ११ बजे से बैठता है और ५ बजे तक कार्यवाही इस सदन को चला करती है और आपने एक विशेष परिस्थिति में सदन की कार्यवाही को कुछ घंटों के लिये स्थगित किया, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस कानून, किस दफा और प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह हो चुका है। उसका उत्तर सुनेंगे आप?

श्री नरसिंहनारायण—मेरी बात भी तो पहले सुन लें आप। मैं कह रहा था कि आपने निर्देश दिया कि सारे सदन के सदस्य यहां से बाहर चले जायं और गैलरी के दर्शकगण को पुलिस घसीट-घसीट कर बाहर करने लगी। लेकिन जब ५ बजे तक सदन की कार्यवाही होती हो और माननीय सदस्य यहां पर बैठे हों....

श्री अध्यक्ष—आप मेरी बात भी सुनियेगा या नहीं। मैंने यह आदेश दिया था "माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश का न पालन करने पर वह इंगित किये गये और उप नेता सदन के प्रस्ताव पर वे दो दिन के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किये गये। इस निलम्बन आदेश के उपरान्त विरोधी दल के सदस्यगण ने सदन में घोर अशांति उत्पन्न कर दी और फलस्वरूप सदन की बैठक ३ बजे तक के लिये स्थगित हो गई। विश्वस्त सूत्र से सूचना प्राप्त हुई कि माननीय लखीसिंह सदन के स्थगन के पश्चात् अध्यक्ष के आसन पर आसीन हुये और माननीय लखपत राम शर्मा सदन में भाषण दे रहे हैं। सदन के स्थगित होने के पश्चात् सदन का प्रयोग नियमों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता और जो कार्यवाही इस समय सदन में होरही है वह नियमों के विरुद्ध है। अतः आदेश दिया जाता है कि सभा मंडप, कक्ष व दीर्घायें अविलम्ब खाली करा दी जायं।" तो इस सदन में कार्यवाही उस वक्त बैठ कर संगठित होती है और कांस्टीट्यूट होती है जब यहां इस सदन में अधिकृत व्यक्ति अध्यक्ष का आसन ग्रहण किये हो। अधिकृत व्यक्ति में स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं या वे अधिष्ठाता-गण हैं जिनको मैंने मनोनीति किया है और वे भी उस सूरत में बैठ सकते हैं जब मैं उनको अधिकार दूं कि वे मेरी अनुपस्थिति में बैठें। चूंकि सदन उस समय कांस्टीट्यूटेड नहीं था और एक माननीय सदस्य इस आसन पर आसीन थे और कुछ लोग या माननीय लखपतराम या इस सदन के अन्य माननीय सदस्य बोल रहे थे जो बिलकुल इस सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध था, इस कारण मैंने यह आदेश दिया कि सदन खाली कर दिया जाय। अब मैं माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी से कहूंगा कि एक आदेश हो चुका है, वह कृपया सदन छोड़ दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि आपने व्यवस्था दे डाली तो फिर मुझे सारा प्रस्ताव पेश कर लेने दीजिये। आपने कहा कि आधा ग्राह्य है, तो जो आधा अग्राह्य है उसे भी मैं पेश कर दूं। प्रस्ताव इस प्रकार है, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का लगान आधा कर दिया जाय तथा सभी किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जायं।"

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हर एक सदस्य अपनी बात के लिये जिम्मेदार है और जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझ से पूछिये, मैं उसका समुचित उत्तर दूंगा। आपने मेरा निलम्बन किया और कोई मत नहीं लिया और मुझे निकाल देने की आज्ञा दी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि निलम्बन के बाद मत लिया जाता है अथवा नहीं?

श्री कल्पनाथ सिंह—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—जब मैं खड़ा हूं तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप बैठें। (शोर)

मुझे इस बात का खेद है कि एक व्यवस्था मैंने दी, सही हो या गलत हो—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप बैठ जायं—उसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है और उस मतभेद के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कहीं भी ठीक है। उनके कहने के बाद मैं समझता यही था कि हमें अपनी कार्यवाही जारी रखनी चाहिये थी। लेकिन अगर यह सदन और आगे कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं है तो मैं इस सदन की कार्यवाही आज स्थगित करने के लिये विवश होऊंगा।

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी, कृपया आप सदन छोड़ दें। (व्यवधान)

तो ऐसी हालत में मेरी व्यवस्था यह है कि आज की बैठक स्थगित होती है कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१ अगस्त, १९६२।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर]

ब्लाकों, की सूची जिनमें ग्रेजुएट या बी० ए०, एल-टी० आदि उत्तीर्ण ए० डी० ओ० (महिलाएं) हैं

जिला का नाम	ब्लाकों का नाम	जिला का नाम	ब्लाकों का नाम
१—जौनपुर	(१) केराकत	१४—बहराइच	(१) जरवल
	(२) दोभी		(२) फकरपुर
	(३) धर्मपुर		
	(४) मुंगराबादशाह-पुर	१५—मुजफ्फरनगर	(१) मोरना
			(२) अन
२—गोरखपुर	(१) भटहट		
	(२) फरेंदा	१६—देहरादून	(१) सहसपुर
	(३) महराजगंज		(२) काल्सी
			(३) चक्रोता
३—सुल्तानपुर	(१) जयसिंहपुर		
	(२) मुसाफिरखाना	१७—शाहजहांपुर	(१) कांट
	(३) कादीपुर		(२) जलालाबाद
	(४) कड़ेभार		
	(५) अमेठी	१८—अल्मोड़ा	(१) हवाल बाग
४—वाराणसी	(१) चकिया	१९—नैनीताल	(१) गरमपानी
	(२) नियमताबाद		(२) हल्द्वानी
			(३) खटीमा
५—फर्रुखाबाद	(१) कायमगंज		
	(२) राजेपुर	२०—गाजीपुर	(१) जमानियां
	(३) बड़पुर		
		२१—बुलन्दशहर	(१) उचागांव
६—पिथौरागढ़	(१) बेरीनाग		(२) लखौटी
			(३) शिकारपुर
७—एटा	(१) सीतलपुर		
		२२—बरेली	(१) रामनगर
			(२) बहेड़ी
८—अलीगढ़	(१) जावा		
	(२) गोंडा		
	(३) खैर	२३—मुरादाबाद	(१) ज्वा
			(२) दिलारी
			(३) हसनपुर
९—इलाहाबाद	(१) कारा		(४) बिलारी
	(२) चैल		
	(३) सैदाबाद		
	(४) बहादुरपुर		

जिले का नाम	ब्लाकों का नाम
	(५) हंडिया
	(६) नेवादा
१०—गोंडा	(१) बलरामपुर
	(२) झंझरी
११—उत्तरकाशी	(१) भटवारी
१२—बांदा	(६) मऊ
१३—सीतापुर	(१) हरगांव
१४—हमीरपुर	(१) चरखारी
१५—आगरा	(१) सैया
	(२) फतेहाबाद
	(३) अकोला
१६—पीलीभीत	(१) पूरनपुर
१७—प्रतापगढ़	(१) प्रतापगढ़
	(२) सडवाचन्द्रिका
	(३) कुन्डा
१८—बाराबंकी	(४) मसौली
	(२) दरियाबाद
	(३) रुदौली
१९—खीरी	(१) फूलबेहर
	(२) मोहम्मदी
२०—मेरठ	(१) बरोत
	(२) बिनौली
	(३) हापुड़
२१—आजमगढ़	(१) आजमगढ़
२२—देवरिया	
	(२) रुद्रपुर
	(३) कप्तानगंज
२३—कानपुर	(१) घाटमपुर
	(२) ककवां
	(३) कल्यानपुर
	(४) अकबरपुर
२४—लखनऊ	(१) गोसाईगंज
	(२) माल
	(३) मोहनलालगंज
	(४) सरोजनीनगर

जिले का नाम	ब्लाकों का नाम
२४—पौड़ी-गढ़वाल	(१) धनू
२५—झांसी	(१) चिरगांव
	(२) गुरसराय
	(३) महरौनी
	(४) बबीना
२६—बदायूं	(१) असफपुर
	(२) गुन्नौर
	(३) उसावां
२७—इटावा	(१) विधूना
	(२) महेवा
	(३) चन्द्रनगर
	(४) अजीतमल
४३—मैनपुरी	(१) रूरहल
४४—चमोली	(१) चसौली
	(२) जोशीमठ
	(३) थाराली
४५—रायबरेली	(१) हरचन्दपुर
४६—हरदोई	(१) बांवा
	(२) सांडी
	(३) संडीला
	(४) शाहाबाद
	(५) सूरसा
	(६) कोटावा
३९—बस्ती	(१) खेसराहा
१—लार	
	(२) कप्तानगंज
	(३) बहादुरपुर
	(४) बड़पुर
४०—उन्नाव	(१) बिछिया
	(२) असोहा
४१—सहारनपुर	(१) गंगो
४२—फैजाबाद	(१) बीकापुर
	(२) अकबरपुर

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर]

वर्ष	क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति तथा पूरा पता	स्वीकृत धनराशि	भुगतान की गई धनराशि
			रु०	रु०
१९५५-५६	१	श्री बल्ली राम, ग्राम उसरी, बुजुर्ग बड़ाराव	१५०	१५०
	२	श्री जगेश्वर भर ग्राम उसरी, बुजुर्ग बड़ाराव	१५०	१५०
	३	श्री बनवारी भर, उसरी बुजुर्ग बड़राव	१५०	१५०
	४	श्री सुमरधिया, भर, सैरया पाहरिया	४००	३५०
	५	भदेरू भर, कनैला जहानागंज ..	५००	५००
	६	श्री अमरासी देवी भर, सहौली सरहन मारटीनगंज	५००	५००
	७	फेरई भर, चकटेक बैरी मारटीनगंज	५००	५००
	८	रघुनाथ प्रसाद भर चकटेक बेरी मारटीनगंज	५००	५००
	९	पतरू भर, कनैला जहानागंज ..	५००	२५०
	१०	जगलाल भर सोरहन, मौ० सोरहन मारटीनगंज	५००	५००
	११	नन्हकू भर, ग्राम व पो० सुरहन मारटीनगंज	५००	५००
	१२	मु० महगीना, ग्राम सोहौली, पो० सुरहन मारटीनगंज	५००	५००
	१३	महेशराम भर, नशापुर मोहमदाबाद	३००	३००
	१४	जैतनाराम भर, ग्राम व पोस्ट सुरहन मारटीनगंज	६९१	४००
१९६०-६१	१५	श्री दुखी भर, सजई फूलपुर	७५०	२००
	१६	खरमान भर, सजई फूलपुर	७५०	२००
	१७	श्रीमती सुखदेई भर, ,,	७५०	२००
	१८	श्री मेढ़ई भर, ,,	७५०	२००
	१९	मंगल भर, ,,	७५०	२००
	२०	भुनेश्वर भर, ,,	७५०	२००
	२१	श्रीमती महरानी भर, ,,	७५०	२००
	२२	निरहू भर, ,,	७५०	२००
	२३	खदेरन भर, ,,	७५०	२००
	२४	चिंता भर, ,,	७५०	२००
१९६१-६२	२५	रामनाथ भर, दादनपुर ब्लाक घोसी	७५०	७५०
	२६	भान्तु भर, अबसईदपुर मोहम्मदपुर	७५०	..
	२७	लोटूभर, ,, ,,	७५०	..
	२८	बुद्धराम, मोहब्बतपुर साहगढ़	७५०	..

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर]

नेशनल कोआपरेटिव फार्मिंग एडवाइजरी बोर्ड की दूसरी बैठक (२९-५-१९६१) द्वारा की गई सिफारिशें

१—जिन राज्यों ने एडवाइजरी बोर्ड बनाना स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी तक बनाया नहीं, उनसे जल्दी बनाने की प्रार्थना की जाय।

२—जिन राज्यों ने एडवाइजरी बोर्ड बनाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया, उनसे जल्दी फैसला करने की प्रार्थना की जाय।

३—बोर्ड के सदस्यों को स्टडी कैम्प, सेमीनार आदि की, जहां भी हों, सूचना मिलनी चाहिये ताकि वे उनमें भाग ले सकें।

४—सोसाइटी के पास कम से कम कितनी भूमि हो, इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाय।

५—टीनेन्ट फार्मिग सोसायटी को भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई खास आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती किन्तु इनको अन्य सहकारी समितियों की तरह सरकार से दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

६—सेक्रेटरी का प्रशिक्षण काल अभी ६ माह का होना चाहिये। कुछ समय बाद इस पर फिर विचार किया जा सकता है।

७—कोआपरेटिव फार्मिग विंग कहां-कहां खोले जायं इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाय।

८—सरकारी बंजर तथा अधिक भूमि को सहकारी कृषि समितियों को दिये जाने के सुझावों को मान लिया गया तथा सिफारिश की गई कि इनको भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और नियोजन आयोग के परामर्श से आगे चलाया जाय।

९—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पाइलट एरिया के बाहर बनने वाली समितियों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित न किया जाय बल्कि उनके लिये आर्थिक सहायता का समुचित प्राविधान कर दिया जाय।

१०—जो बाहरी समितियां स्टडी कैम्प आयोजित करना चाहें, सरकार उनको तत्सम्बन्धी साहित्य तथा शिक्षक देने का प्रबंध करे। कैम्प चलाने तथा उसकी आर्थिक आवश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी समितियों की ही होगी।

११—विविध एजेन्सियों के कार्यकर्ताओं, जो सहकारिता के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हों, की अखिल-भारतीय तथा रीजनल कांफ्रेंस कराने का प्रबंध समय-समय पर मंत्रालय करे।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

THE HON'BLE MINISTER,
CO-OPERATIVES,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

HON'BLE SIR,

I beg to lay down the following points before your honour for necessary action against Sri Ram Lal Gupta, Secretary D.C. D.F., Gonda who was nominated by the Honourable Minister for one year and the term expires in June, 1962.

1. He took loan in his own name against rules although Direc tors opposed it.

2. Co-operative Government Promissory notes worth Rs.10,000 w ere purchased and sold to wife of his cousin Sri Suraj Lal Gupta for Rs. 10, 500 when the face value was Rs.12,000 (can be verified from the file).

3. He was asked security worth Rs.10,000 which is not done and papers are suppressed.

4. He made payment of Rs.521.00 illegally to Chhote Lal against Board's orders and legal advice.

5. Balance sheet was worth Rs.8,000.00 but shown Rs.3,000.00 only.

6. He has sold off cloth of Co-operative shop to his men instead of public auction.

7. He has appointed Manager and a clerk in the D.C.D.F. for nothing and they are selling steel trunks manufactured in his factory.

8. The D.C.D.F. is paying rent still regarding cloth shop which is utilised for selling his steel trunks.

9. He paid T.A. to Raja Ram in November, 1961 while he was already ousted in October, 1961.

10. He disposed of about 78 bags of Manure from the Godown.

11. He is anti-Congress. He got Dr. Siraj to contest M.L.A. seat against Congress candidates and arranged help for him by money and conveyance.

12. When Dr. Siraj Socialist was defeated by Swatantra candidate he was nominated as Director in the D.C.D.F. to keep his position secure.

13. His sincerety to the Congress party and D.C.D.F. may be enquired for from local Congress and the M.L.As. of any party.

14. He is dangerous, unreliable, cheat, harmful, faithless and fraudulent.

15. It is, therefore, prayed that he may be suspended at once and charge may be taken by the District Magistrate, the President, D.C.D.F. or Sri Raghoram Pande, the Director of the D.C.D.F.

Yours faithfully,
(Sd.) RAM DULARAY SINGH.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के मैनेजर को २५०–२५-४०० द० रो०–३०–७०० द०रो० ५०–८५० वेतनक्रम में ६१० रुपया वेतन दिया जाता है । संघ के अन्य कर्मचारियों के वेतन-क्रम निम्न प्रकार हैं ।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० के कर्मचारियों के वेतन क्रम की तालिका

नाम पद	वेतन-क्रम
डेरी मैनेजर	रु० २५०–२५–४०० रु० रो०–३०–७०.० द० रो० ५०–८५० ।
एकाउन्टेन्ट	,, २००–१५–२६० द०रो० १५–३२० द०रो०–१५–३५० ।
सहायक एकाउन्टेन्ट	,, ७५–४–९५ द०रो०–५–१२० द०रो०५–१५० ।
कोषाध्यक्ष	,, १००–५–१२५ द०रो०–५–१५० द०रो०–१०–२०० ।
सहायक कोषाध्यक्ष	,, ६०–४–८० द०रो०–४–१०० द०रो०–५–१२५ ।
सीनियर क्लर्क	,, ६०–४–८० द०रो०–४–१०० द०रो०–५–१२५ ।
क्लर्क	,, ४५–३–६० द०रो० ३–७५ द०रो०–५–१०० ।
चपरासी	,, २५–१–४० ।
सेक्शन आफिसर (डेरी एवं क्रीमरी)	,, २५०–२५–४०० द०रो०–३०–७०० द०रो०–५०–८५० ।
सेक्शन आफिसर (सेल्स एवं ट्रांसपोर्ट)	,, २५०–२५–४००–द०रो०–३०–७०० द०रो०–५०–८५० ।
शिफ्ट इंचार्ज	,, १००–५–१२५ द०रो०५–१५० द०रो० १०–२०० ।
प्लांट मैकेनिक	,, ७५–४–९५ द०रो०–५–१२५–द०रो० ५–१५० ।
डेरी ब्वाय (फैक्टरी)	,, २५–१–४० ।
फोर मैन	,, १२०–८–१६० द०रो० ८–२०० द०रो० –१०–२५० ।
मोटर मैकेनिक	,, ७५–५–९०– द०रो०–५–११० द०रो०–८–१५० ।
मोटर ड्राइवर	,, ४५–३–६० द०रो०–३–७५–द०रो०–५–१०० ।
क्लीनर	,, ३०–१–४५ ।
डिपोमैन	,, २०–१–४० ।
रिक्शा कैरियर	,, २०–१–४० और १७ एलाउन्स
रिक्शा मैकेनिक	,, ४५–३–६० द०रो०–३–७५ द०रो०–५–१०० ।
सहायक रिक्शा मैकेनिक	,, ४०–२–५० द०रो०–२–६० द०रो०–४–८० ।
कैमिस्ट	,, २००–१५–२६० द०रो०–१५–३२० द०रो०–१५–३५०।
सहायक केमिस्ट	,, ४५–३–६० द०रो०–३–७५ द०रो०–५–१०० ।
लैब अटेन्डेन्ट	,, ३५–२–५५–द०रो०–५–७५–और १६ रुपया डी०ए०
प्रोडक्शन इंस्पेक्टर	,, २००–१५–२६० द०रो०–१५–३२० द०रो०–१५–३५० ।

नाम पद	वेतन-क्रम
प्रोडक्शन सुपरवाइजर	रु० ४०–२–६० द०रो०–४–८० और फिक्सड टी०ए० १५ रुपया डी०ए० ३५ रुपया।
सहायक प्रोडक्शन सुपरवाइजर	,, ४०–२–५० द०रो०–२–६० द०रो०–४–८० टी०ए० ११ रु० डी०ए० २० रुपया।
डिपो इंचार्ज (प्रोडक्शन)	,, ४०–२–५० द०रो०२–६० द०रो०–४–८०।
डेरी ब्वाय (प्रोडक्शन, डिपो–)	२०–१–३०।
इंजीनियर	,, २५०–२५–४०० द०रो०–३०–७०० द०रो०५०–८५०।

टिप्पणी—५०० रु० तथा उससे अधिक पाने वालों के अतिरिक्त समस्त पदाधिकारियों, लेखक, ड्राइवर तथा अन्य कर्मचारी (सेवकगण) जिनका वेतन ७५ रु० या इससे अधिक है उन्हें मंहगाई २० रुपया तथा ७५ रुपया से कम पाने वाले सेवकगणों को १६ रु० दी जाती है।

देहात में दुग्ध समिति, संग्रह केन्द्र तक दूध भेजने की व्यवस्था अपने दुग्ध वाहकों द्वारा स्वयम् करती है। इन दुग्ध वाहकों का वेतन संग्रह केन्द्र से दुग्ध समिति की दूरी तथा दुग्ध की मात्रा पर निर्भर है जिसका भुगतान समिति स्वयम् करती है।

शहरों में दुग्ध वितरण करने वाले डिपो मैनों को जो मुहल्ले में एक जगह बैठकर दूध बेचते हैं उन्हें २० रुपया वेतन तथा १६ रुपया मंहगाई भत्ता दिया जाता है। रिक्शा द्वारा घर घर दूध बांटने वाले सेल्समैनों को उपरोक्त वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अलावा १७ रुपया रिक्शा चलाने का एलाउन्स दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दुग्ध वितरकों को निर्धारित मात्रा से अधिक दूध बेचने पर सेल्स एलाउन्स भी दिया जाता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१११ एल० ए०—१९६२—८४५।